जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 232 प्रभात कोटा, शुक्रवार 6 जून, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

पहली बार सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बंटी जम्मू-कश्मीर कांग्रेस इकाई

इस दरार की जड़ हैं, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हमीद कर्रा जिन्हें राहुल गांधी की चॉइस बताया जाता है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई में विभाजन अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। विवाद का मुख्य कारण जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष अब्दुल हमीद कर्रा हैं, जो कश्मीर से आते हैं।

यह संभवतः पहला अवसर है, जब जम्मू और कश्मीर की इकाइयाँ सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित नज़र आ रही हैं। कर्रा के आलोचकों का कहना है कि उनमें न तो कोई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है और न ही व्यापक और समावेशी दृष्टि। उनका कहना है कि जम्मू में कांग्रेस की स्थिति तेजी से खराब हो रही है।

- कर्रा पीडीपी से कांग्रेस में आए हैं और अमरनाथ आतंकी हमले पर गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिराने में उनकी अहम् भूमिका थी, जब पीडीपी ने भाजपा से हाथ मिलाया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
- कर्रा कांग्रेस कल्चर से वाकिफ नहीं हैं और उनकी सोच व नज़रिया राष्ट्रवादी न होकर कश्मीर केन्द्रित और अलगाववादी है।
- यही वजह है कि जम्मू के कांग्रेसी उनसे नाराज़ हैं। उनकी मांग है या तो प्रदेश अध्यक्ष जम्मू का हो या जम्मू की अलग कांग्रेस इकाई बनाई जाए।
- देखना यह है कि अब राहुल क्या करते हैं, क्योंकि, राहुल धमाकेदार भाषण तो देते हैं, पर उसे क्रियान्वित करने का उनका सिस्टम बेहद दयनीय है।

उनके अनुसार, कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, लेकिन कर्रा के नेतृत्व में पार्टी में सांप्रदायिक रुझान आ रहे हैं, जिससे जम्मू में भाजपा से मुकाबला करना कठिन हो गया है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल में हुए जम्मू-कश्मीर के चुनाव हैं, जहाँ कांग्रेस, भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकी तथा कांग्रेस की उम्मीदों के बावजूद, उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और सभी लोग स्तब्ध रह गये।

जम्मू कांग्रेस इकाई की मांग है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू से होना चाहिए। उनकी मांग है कि यदि ऐसा संभव न हो, तो मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की तर्ज पर एक अलग समिति बनाई जाए, जैसा कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ किया गया है। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि कर्रा की सोच पूरी तरह कश्मीर-केन्द्रित है और वे केवल कश्मीर पर केन्द्रित सोच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा, नीट पीजी परीक्षा की तारीख

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस (एन.बी.ई.) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 3 अगस्त को नीट पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है। यह परीक्षा पहले 15 जून को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षा के

- नैशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने 3 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

प्रस्तावित दो शिफ्ट फॉर्मेट पर चिंता जताने के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया था। एन.बी.ई. ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह नई प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की अनुमति दे। यह कदम अदालत के पिछले शुक्रवार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जातिगत जनगणना में निहित है परिसीमन का भय

बताया जाता है, केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना के डेटा के आधार पर नए सिरे से परिसीमन कराने की तैयारी में है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। बहुप्रतीक्षित जातिगत जनगणना शुरु होने वाली है। इसकी अधिकृत अधिसूचना 16 जून को जारी हो जायेगी। लेकिन इसे लेकर राजनैतिक एवं संवैधानिक बहसें जोर पकड़ चुकी हैं। ये बहसें खासतौर से संसदीय सीटों के परिसीमन के विवादित मुद्दे से संबंधित हैं। कुछ ही महीने दूर मुख्य राज्यों के चुनावों और बढ़ते जा रहे संघीय तनावों की पृष्ठभूमि में, सरकार के कई कदमों पर पूरे राजनैतिक परिदृश्य की नजरें लगी हुई हैं।

- दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका है कि नए परिसीमन में कम जनसंख्या की वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है और ज्यादा आबादी वाले यूपी, बिहार की सीटें बढ़ सकती हैं।
- स्टालिन ने कहा कि ''हम जनसंख्या नियंत्रण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का खामियाजा क्यों भुगतें।''
- ज्ञातव्य है कि देश में अक्टूबर से जातिगत जनगणना शुरु होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना 16 जून को जारी होगी।

सबसे महत्वूर्ण प्रतिक्रिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की तरफ से आई है। उन्होंने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए, इस प्रक्रिया में जानबूझकर विलम्ब करने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने चेतावनी दी है कि इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि तमिलनाडु जैसे राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या-नियंत्रण की नीतियाँ सफलतापूर्वक लागू की हैं, को अब लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व में संभावित कमी करके, दंड दिया जा सकता हे।

भारत के संघीय स्वरूप में बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलन की ओर संकेत करते हुये, स्टालिन ने प्रश्न किया है, ''सामाजिक नियोजन के मामले में हमारी सफलता की ऐसी कीमत आखिर हम क्यों चुकायें, जबकि दूसरे राज्यों को अनियंत्रित जनसंख्या-वृद्धि के कारण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई 13 जून को

कोर्ट ने ईडी जाँच अधिकारी से पूछा कि गवाहों के बयान की वीडियोग्राफी क्यों नहीं की?

जयपुर, 5 जून। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान, जांच अधिकारी से प्रकरण के अनुसंधान को लेकर कुछ सवाल किए। इसका जवाब देने के लिए जांच अधिकारी ने अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 13 जून को तय की है।

सुनवाई के दौरान, पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने ईडी के जांच अधिकारी से गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी नहीं करने का कारण पूछा। वहीं, पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में अन्य लोगों की गिरफ्तारी और गवाहों को लेकर भी जांच अधिकारी से सवाल किए। इस पर जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड देखकर जवाब देने का कहते हुए अदालत से समय मांगा। इसका विरोध

- जाँच अधिकारी ने कोर्ट के सवाल का जवाब देने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 13 जून की तारीख तय दी।

करते हुए जोशी के अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि ईडी अनावश्यक समय लेकर उन्हें अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखना चाहती है। इस पर अदालत ने ईडी को जवाब के लिए 13 जून तक का समय दिया है।

महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता बाजवा ने कहा कि मामले में गवाह बनाए गए अभियंता ने बयान दिए हैं कि उन्होंने निजी ठेकेदारों से रिश्वत ली थी, तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। दूसरी ओर, मनी लॉण्डरिंग के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गवाहों की वीडियोग्राफी के निर्देश होने के बावजूद, ईडी ने वीडियोग्राफी नहीं कराई। दूसरी ओर उसे नोटिस देने के एक साल तक कार्रवाई नहीं करने के बाद अचानक उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व, ईडी की ओर से अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने कहा कि मामले से जुड़े सह आरोपियों के बयान में आया है कि जोशी तक रिश्वत राशि पहुंचाई जाती थी। वहीं, आरोपियों की फर्म से जोशी के बेटे की फर्म को भी लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। अभियोजन पक्ष के पास जोशी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में यदि उन्हें जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भगदड़ पर सिद्धारमैया का एक्शन

बंगलूरू, 05 जून। बंगलूरू में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने पर कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस

- बेंगलूरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया है।

मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसीपी, सेन्ट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को तत्काल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राज्य सरकार पंचायतों व निकायों में मनमर्जी से परिसीमन कर रही है'

सचिन पायलट ने टोंक में बैरवा धर्मशाला में नवनिर्मित छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा

टोंक, 5 जून । कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने भारत-पाकिस्तान के मध्य युद्धिवराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किये जाने को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि व्यापार का लालच देकर उन्होंने यह युद्धिवराम कराया है। सरकार द्वारा उनके इस बयान का खण्डन नहीं किया जाना, बयान की पुष्टि करने जैसा है।

कांग्रेस नेता पायलट ने कहा कि पहलगाम में हुई पाकिस्तान -समर्थित आतंकवाद की घटना देश पर आक्रमण था। जब देश की सुरक्षा पर कोई बात आती है तो यह संदेश जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा, एकता, अखण्डता के मुद्दे पर सारे 140 करोड़ देशवासी एकजुट हैं और यह संदेश विपक्ष देता है।

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के युद्ध विराम के बयान का खंडन नहीं करना, बयान की पुष्टि करने जैसा है।

राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हुए पायलट ने कहा कि सरकार में कई पावर सेंटर बन चुके है। आपस में इतना खिंचाव हो चुका है कि प्रशासन पर उसकी पकड़ खत्म हो चुकी है। सरकार पंचायतों और निकायों के चुनाव कराने को तैयार नहीं है। मनमर्जी

सचिन पायलट

से परिसीमन किया जा रहा है। राजनैतिक सुविधा को देखकर परिसीमन किया जा रहा है। पायलट ने आज टोंक की बैरवा धर्मशाला में 31 लाख रूपये की राशि से नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों द्वारा भव्य प्रागंण का निर्माण करवाया गया है, परन्तु यह तभी सार्थक होगा, जब समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाये। पायलट आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत बमोर, लवादर एवं सोनवा का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया।

पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पक्के बंदे पर स्थित होटल देवनारायण ढाबा, छावनी सर्किल, बस स्टैंड पर भी भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सोशल मीडिया प्रभारी जर्रार खान, हंसराज फागणा, फोजू राम मीणा, सलीम नकवी, महमूद शाह, इरशाद बेग आदि मौजूद थे।

खड़गे-राहुल से मणिपुर के पार्टी नेता मिले

नयी दिल्ली, 05 जून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यहां नये कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के मणिपुर के नेताओं के साथ बैठक कर राज्य में चल रहे हिंसक तनाव को लेकर ताजा हालात पर चर्चा की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद यह जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा इंदिरा भवन में यहां मणिपुर के नेताओं से मुलाकात कर उनके दर्द, उम्मीदों और दृढ़ संकल्प को सुना। शांति, न्याय और एकता के लिए हमारी लड़ाई जारी है – साथ मिलकर। बैठक में खरगे तथा गाधी के अलावा पार्टी हासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सप्तगिरि उलाका, प्रदेश अध्यक्ष केशम मेघचंद्र सिंह सहित कई अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। मणिपुर में मई 2023 से हिंसा का दौर चल रहा है। राज्य के निवासी दो प्रमुख समुदा मैती और कुकी के बीच हिंसा हो रही है जिसके कारण 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह शुरु से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का दौरा कर वहां जारी हिंसा रोकने और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का आग्रह कर रही है।

रीवा में ऑटो पर पलटा ट्रक, सात मरे

रीवा, 05 जून। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ। गुरुवार को रीवा जिले में सोहागी पहाड़ के पास एक ऑटो पर सीमेंट की शीट से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। इससे पहले बुधवार को झाबुआ में ट्रॉला के एक वैन पर पलटने से नौ लोगों की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। रीवा में मौत की घाटी कही जाने वाली सोहागी घाटी में गुरुवार दोपहर सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 30 पर ऑटो पर सीमेंट की शीटों से लदा ट्रक पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय और दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

अमरनाथ यात्रा:सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम

नई दिल्ली, 05 जून। इस साल तीन जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान सरकार की ओर से सुरक्षा के व्यापक और अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा तीन जुलाई से नौ अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस साल अमरनाथ की यात्रा 38 दिनों तक चलने वाली है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने कुल 581 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती का निर्णय लिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती में से एक मानी जा रही है।

इस बार विशेष सुरक्षा उपायों के तहत पहली बार अमरनाथ यात्रा के काफिले की सुरक्षा के लिए जैमर लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों या हमलों को रोका जा सके। यात्रा के दौरान जब काफिला गुजरेगा, तब संबंधित मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो।

इसके अलावा, रूट पर रोड ओपनिंग पार्टीज़ को तैनात किया जाएगा, जो यात्रा मार्गों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाएंगे।

राज ठाकरे से हाथ मिलाएंगे उद्धव ठाकरे

मुंबई, 5 जून। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के युवा नेता अमित ठाकरे ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी और शिवसेना (ठाकरे) समूह के बीच गठबंधन के लिए तैयार हैं।

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अलग हुए चचेरे भाइयों के एक साथ आने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने

- महाराष्ट्र में चर्चा है कि जल्दी ही शिवसेना (ठाकरे) राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन कर सकती है।

जवाब दिया कि उन्हें दोनों नेताओं के एक साथ आने पर कोई आपत्ति नहीं है। अमित ठाकरे ने कहा 'उन्हें (दोनों नेताओं को) एक-दूसरे से बात करनी चाहिए और इसके बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास एक-दूसरे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जल संरक्षण के लिए अधिक श्रमदान का आह्वान किया

उन्होंने रामगढ़ में श्रमदान कार्यक्रम में कहा कि इसमें सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है

जयपुर, 5 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जल ही जीवन है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। आज से शुरू हो रहे ''वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान'' के तहत, प्रदेशभर में जल संचयन एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आ ान किया कि जन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान में ज्यादा से ज्यादा श्रमदान करें। परंपरागत जलस्रोतों को स्वच्छ बनाएं, जिससे वर्षा जल का संचयन हो।

- मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में श्रमदान से पहले जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर लोकगीत गाते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री गुरूवार को विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के अवसर पर जयपुर के रामगढ़ बांध पर श्रमदान कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब रामगढ़ बांध को एक बार फिर जल से परिपूर्ण करने के लिए श्रमदान करने हेतु एकत्रित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत जमवारामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाया। इस दौरान, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने तुलसी का पौधा भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद स्तर पर जनमानस को जोड़ते हुए जल संग्रहण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' शुरू किया गया है। यह अभियान प्रदेशवासियों का अपना अभियान है एवं इसमें सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज गंगा दशमी के दिन अपने आसपास के जल स्रोतों, नदियों, जल धाराओं और तालाबों की पूजा-अर्चना करें तथा इनके संरक्षण में बढ़-चढ़ कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

भारत में बनेगी राफेल विमान की बॉडी

नयी दिल्ली, 05 जून। भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ चार उत्पादन हस्तांतरण करार किये हैं जिनके तहत राफेल लड़ाकू विमान की मेन बॉडी का निर्माण भारत में किया जायेगा। इसे फ्यूजलाज कहा जाता है।

इन दोनों कंपनियों ने यहां जारी संयुक्त बयान में कहा कि यह करार देश की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से इस सम्बंध में करार किया है।

साझेदारी के दायरे में, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स हैदराबाद में राफेल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। –महात्मा बुद्ध

संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसे है?

गत शुक्रवार दिनांक 30.05.2025 के सम्पादकीय में लेखक ने ''कंवर लाल मीणा की विधायिका समाप्त हो गई; किन्तु कारावास की सजा के कारण अयोग्य होने से सीट रिक्त होने का आदेश सही प्रतीत नहीं होता'' के शीर्षक से अपने अतिथि सम्पादकीय में लेख का सारांश निम्नलिखित प्रकार से अन्तिम चरण में किया था :–

''उपरोक्त मन्थन का सार यह है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के मुख्य कानूनी प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 191 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) है। उपधारा (4) धारा 8 को लिली थामस के केस (निर्णय दिनांक 10.07.2013) में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। इन दोनों कानूनों के कारण दोष सिद्धि अयोग्यता का कारण बनती है। यदि दोष सिद्धि में दो वर्ष या इससे अधिक कारावास की सजा दी गई है तो अयोग्यता स्वतः हो सकती है। इसे समझने के लिये संविधान के अनुच्छेद 190(3) को पढ़ना होगा। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि विधान सभा की सीट दोष सिद्धि की तारीख से रिक्त होती है और दोष सिद्धि (Conviction) 2020 में हुआ।''

विधानसभा की सीट दोष सिद्धि की तारीख से रिक्त होती है। यदि सजा 2 वर्ष से कम की नहीं है तो अयोग्यता दोष सिद्धि की तारीख से होगी और यह अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता से पीडित सदस्य को, धारा 8(3) के अपराधों के कारण दोष सिद्धि होने से धारा 8(4) का कोई लाभ नहीं मिल सकता।

इसी बात को स्पष्ट करते हुये लेखक ने पाठकों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद के कई प्रावधानों की ओर आकर्षित किया था जो स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (4) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 10.7.2023 के अवैध हो जाने के कारण दोष सिद्धि अयोग्यता का कारण बनती है, यदि दोष सिद्धि में दो वर्ष या इससे अधिक की सजा दी गई हो तो अयोग्यता के कारण विधान सभा की सीट स्वतः रिक्त होती है। यह भी स्पष्ट किया था कि इस बाबत अनुच्छेद 190 की उपधारा (3) लागू होती है।

जहाँ अनुच्छेद 192 में असेम्बली के सदस्य की सदस्यता अयोग्यता के विवाद के बाबत निर्णय लेने का अधिकार महामहीम गवर्नर महोदय को है वहीं संसद के सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार महामहीम प्रेसीडेण्ट को संविधान के अनुच्छेद 103 में है। यह ध्यान रहे कि विभिन्न विचारों के टकरार से ही कानून का सृजन व प्रगति होती है।

संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि अयोग्यता के बाबत कोई विवाद होने पर उसका निर्णय गवर्नर करते हैं और उनका निर्णय अन्तिम होता है, किन्तु गवर्नर के लिये यह अपेक्षित है कि वे निर्णय से पूर्व चुनाव आयोग (Election Commission) की राय लेंगे। इस प्रकार कंवर लाल मीणा के केस में जो सीट रिक्त होने अथवा अयोग्यता के बाबत निर्णय है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है।

कंवर लाल मीणा की अयोग्यता व सीट रिक्त होने के सम्बन्ध में लिखे गये लेख (सम्पादकीय) से पूर्व एक अन्य लेख ''सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के बाबत संविधान के अनुच्छेद 103 की क्या कोई भूमिका है?'' शीर्षक से लेखक ने लिखा था वह भी राष्ट्रदूत में दिनांक 11.08.2023 को प्रकाशित हो चुका है। उस लेख सम्पादकीय में स्वंय लेखक को ऐसा प्रतीत होता है गलती सोच में कहीं है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) का उल्लेख तो किया है, किन्तु दोष सिद्धि के प्रश्न पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कन्वीक्शन को निलम्बित करने का उल्लेख किया है; किन्तु इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उक्त अधिनियम की धारा 8(4) स्वंय को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। अतः पाठकों से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों में स्वंय अपने विवेक से सही निर्णय करें कि सही कानून स्थिति क्या है। कन्वीक्शन को स्थगित रखने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में कोई चुनौती नहीं है।

जहाँ अनुच्छेद 192 में असेम्बली के सदस्य की सदस्यता अयोग्यता के विवाद के बाबत निर्णय लेने का अधिकार महामहीम गवर्नर महोदय को है वहीं संसद के सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार महामहीम प्रेसीडेण्ट को संविधान के अनुच्छेद 103 में है।

यह ध्यान रहे कि विभिन्न विचारों के टकरार से ही कानून का सृजन व प्रगति होती है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राशिफल शुक्रवार 6 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र प्रातः 6:34 तक, व्यतिपात योग दिन 10:13 तक, वणिज करण दिन 3:32 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:07 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृष, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–कर्क, बुध–वृष, गुरू–मिथुन, शुक्र–मेष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से प्रातः 6:34 तक है। रवियोग प्रातः 6:34 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 4:48 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:18 तक, लाभ अमृत 7:18 से 10:43 तक, शुभ 12:25 से 2:07 तक, चर 5:32 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:14

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

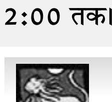

सिंह
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ राहत मिलेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय महत्वपूर्ण कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

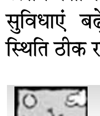

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को संयम रखना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

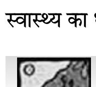

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मीन
घर–परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

क्षत्रपति शिवाजी का हिन्दवी स्वराज : सिद्धान्त, संरचना एवं संचालन

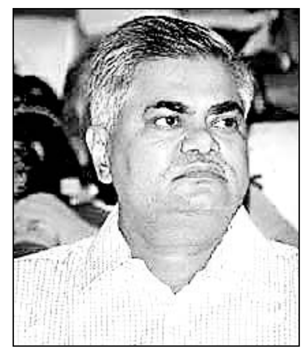

राजेश्वर सिंह

6 जून, 1674 को पश्चिमी भारत के ऐतिहासिक रायगढ किले में क्षत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ व इसके साथ ही इस विस्तृत भूभाग में हिन्दवी स्वराज की स्थापना हुई, जो स्वधर्म के प्रति अटूट निष्ठा, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता व सम्मान के भाव, प्रजाजन के सर्वविधि कल्याण, धार्मिक कट्टरता, आतंक, बर्बर अत्याचार व पशुता के प्रभावी प्रतिरोध, सबको स्वधर्मपालन की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता, समाज, राज्य व सैन्यबल के अन्योन्याश्रित सुसंगठन तथा उचित, न्यायपूर्ण व जनसहभागी शासनतन्त्र के प्राचीन भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित था।

भारतीय परम्परा में राजा व मन्त्रिपरिषद को राज्य रूपी रथ के दो पहिए के रूप में परिभाषित किया गया है। राजा का यह कर्तव्य व दायित्व है कि वह विद्वान व बुद्धिमान मंत्रियों को नियुक्त करे तथा उनके परामर्श से राजकार्य का संचालन करे। शिवाजी की मन्त्रिपरिषद जिसे अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है, में पेशवा (प्रधानमंत्री), अमात्य या मजुमदार (वित्तमंत्री), मंत्री या वाकयानवीस (राजनीतिक सचिव), पंत सचिव या दाबीर (विदेश सचिव), सेनापति या सरे नौबत, पण्डितराव (मुख्य धर्माधिकारी) एवं न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधिकारी) सम्मिलित थे।अष्टप्रधान की व्यवस्था शासन विज्ञान के प्राचीन ग्रंथ शुक्रनीति पर आधारित थी।

ये मंत्री मुख्यतः अपने विभागों का पर्यवेक्षण करते थे तथा उसके बीच समन्वय अथवा तालमेल बिठाने का कार्य पेशवा के द्वारा किया जाता था। शिवाजी का हिन्दवी स्वराज प्रान्त, सूबा, परगना, हवल या महल, ग्रामसंघ, कस्बा या मौजा तथा पेठ में विभाजित था, जिनके प्रभारी अधिकारियों को क्रमशः सर सूबेदार, सूबेदार, सर हवलदार या वतनदार, हवलदार या महलदार, कामविसदार, पाटिल तथा सेठ महाजन कहा जाता था। प्रत्येक सूबेदार के पास सामान्यतः आठ सहायक होते थे, जो विभिन्न कार्यो के प्रभारी थे। उनके पदनाम थे- दीवान, मजूमदार, फडनीस, सबनीस, कारखानीस, चिटणीस, जमादार और पोटनिस। यह अष्ट प्रधान व्यवस्था का सूबाई संस्करण था।

न्यायिक विवादो का निर्णय स्थानीय स्तर पर पाटिल अथवा उनके द्वारा नियुक्त पंचायत द्वारा किया जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर देशक सभा थी, जिसमें सभी क्षेत्रीय अधिकारी ,मौजो के पाटिल तथा पेठो के सेठ महाजन सम्मिलित होते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय के रूप में राजसभा थी, जिसमे राजा व मन्त्रिगण के अतिरिक्त विवाद से सम्बन्धित स्थान के स्थानीय पदाधिकारी भी सम्मिलित होते थे। धर्मसभा एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय था, जिसका कार्य धर्म अथवा परम्परा से जुडे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राजसभा को अपनी राय से अवगत कराना था।

शिवाजी की राज्य व्यवस्था में दो प्रकार के कर्मचारी थे ,स्थायी और अस्थायी। इसमें बडी संख्या अस्थायी लोगो की थी। सेना में अधिकांश सैनिक वर्षाकाल के चार माह खेती करते थे और बाकी के आठ माह सेना में सेवाएँ देते थे। स्वराज में हर माह प्रतिपदा के दिन नकद पारिश्रमिक दिया जाता था। शिवाजी की सेना में एक लाख पैदल सैनिक, एक लाख पांच हजार घुडसवार तथा पाँच हजार नौसैनिको को रोजगार प्राप्त था। शिवाजी के हिन्दवी स्वराज में जागीर प्रथा कम कर मासिक वेतन की पद्धित लागू की गई थी। बडे से बडे प्रशासनिक अथवा सैन्य अधिकारी को भी जागीर नही दी जाती थी। राज्य के पेशवा मोरापन्त पिगले को भी जागीर न देकर 56000 रू प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। इससे अधिकारियों पर नियन्त्रण कायम हुआ तथा किसान एवं काश्तकार वर्ग के सामन्ती शोषण पर लगाम लगी।

शिवाजी के राज्य में अहमदनगर एवं बीजापुर के सुल्तानों और मुगल बादशाह से विजित क्षेत्र सम्मिलित थे, जिनमें कृषक मीर सदर के नाम से ख्यात वंशानुगत जमींदारो के अध्यधीन थे ,जो अत्यधिक लगान वसूलते थे और उन पर अमानुषिक अत्याचार करते थे। शिवाजी ने इन जमींदारो को अपने नियन्त्रण मे लेकर उनकी सारी शक्तिया छीन ली और प्रत्येक कृषक द्वारा दिये जाने वाले राजस्व की सही, औचित्यपूर्ण व वस्तुपरक गणना कर उनका लगान व जमीदार को उनके द्वारा देय राशि का निर्धारण कर दिया। इसी तरह की व्यवस्था हर प्रान्त में लागू कर समस्त कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें उर्वरता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण, उपज का आभिनिश्चयन ,लगान का नियतन तथा मध्यस्थ प्रथा का उन्मूलन किया गया। बंजर जमीने कृषि योग्य बनाई गई तथा किसानों को बीजों एवं पशुओ की सहायता दी गई। कृषि योग्य बनाई गई बंजर भूमि पर शुरुआती दौर में मामूली भूराजस्व वसूल किया जाता था।

मध्यकालीन भारत में क्षत्रपति शिवाजी महाराज पहले राजा थे जिन्होने आधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा तथा वस्तुओं के बजाय तकनीक के आयात पर बल दिया। स्वदेशी जलपोत के निर्माण के लिये उन्होने कल्याण व भिवण्डी मे कारखाने लगवाए। तोपों की आवश्यकता बढने पर उन्होने फ्रांस के सहयोग से पुरंदर किले पर तोप का कारखाना लगवाया। उन्हे जब पता चला कि अरबी घोडे बाकी घोड़ों की तुलना में ज्यादा तेज व लंबे समय तक भाग सकते है तब उन्होने अपने राज्य में इन घोड़ों की प्रजाति बढाने के लिय विशेष केन्द्र खोले। व्यापार के बढने से प्राप्त हुई आय एवं विभिन्न विजय अभियानों से प्राप्त राशि को शिवाजी ने ढांचागत संरचना के विकास में लगाया। उन्होने विभिन्न दुर्गों,बन्दरगाहों तथा सडको का निर्माण करवाया। उन्होने नौवहन एवं नौसेना के महत्त्व को समझा तथा उसे सुदृढ बनाने के हेतु यथा संभव प्रयास किए।

शिवाजी की उच्चकोटि की व्यक्तिगत नैतिकता का प्रभाव सम्पूर्ण प्रशासन, सेना एवं सार्वजनिक जीवन पर था। सैनिको को किसानो तथा व्यवसायियों से कोई भी वस्तु मूल्य चुका कर लेने के सख्त निर्देश थे। सैन्य अभियान में पत्नी, नृत्यांगना अथवा कलाल को ले जाने की मनाही थी। किसी भी धर्मस्थल अथवा धर्मठान्थ को हानि न पहुँचाने के लिए भी सेना को पाबन्द किया गया था। विजित क्षेत्र की महिलाओ के साथ सैनिकों का व्यवहार अत्यन्त सम्मानपूर्ण ,शालीन एवं मर्यादित था। आचरण व व्यवहार की इस पवित्रता व उच्चता ने शिवाजी व हिन्दवी स्वराज को एक अत्यन्त तेजस्वी आभामण्डल से मण्डित कर दिया था, जो प्रजा के मन को श्रद्धा, सम्मान व समादर से परिपूर्ण करता था व उन्हे इस स्वराज की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सर्वस्व समर्पण करने को प्रेरित करता था।

-राजेश्वर सिंह,
आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)

जयपुर : विकास की गंगा में समस्याओं के रोड़े

राजेन्द्र मोहन शर्मा

जयपुर, राजस्थान की राजधानी और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक चमकता रत्न, अपनी ऐतिहासिक भव्यता और आधुनिक विकास के बीच एक जटिल संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात यह शहर अपनी वास्तुकला, हस्तशिल्प और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। सफाई, पानी की आपूर्ति, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की हाईटेंशन लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, कच्ची बस्तियों में आवास, अतिक्रमण, औद्योगिक अपशिष्ट और बढ़ती जनसंख्या का दबाव जैसे मुद्दे जयपुर की प्रगति को बार-बार प्रश्नों के घेरे में लाते हैं। तथ्यों और हाल के आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण जयपुर के विकास के दावों और वास्तविकता के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। जयपुर की सफाई व्यवस्था शहर की छवि पर एक धब्बे की तरह है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जयपुर को स्वच्छ शहर बनाने के दावे बार-बार किए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर बिखरा कचरा, अनियमित कचरा संग्रह और अपर्याप्त कचरा निस्तारण इकाइयां इन दावों की पोल खोलती हैं।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की खामियों पर सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट फाइनेंस कमीशन का 40 प्रतिशत बजट ग्राम पंचायतों में सफाई पर खर्च होता है, फिर भी जयपुर से सके ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में लापरवाही के कारण अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा। शहरी क्षेत्रों में, जयपुर नगर निगम (ग्रेटर और हेरिटेज) ने सफाई अभियानों को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन कचरे के ढेर, खासकर कच्ची बस्तियों और बाजारों में, एक आम दृश्य हैं। ठोस कचरा प्रबंधन की कमी और नागरिकों में जागरूकता का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है। प्रशासन की ओर से बार-बार स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में, जयपुर की गलियां और नाले स्वच्छता के सरकारी दावों का मजाक उड़ाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के 368 बांध गर्मी के कारण पूरी तरह सूख गए, जिसने जयपुर की जल आपूर्ति को और संकट में डाल दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नहरी स्त्रोतों पर आधारित 80 जल योजनाओं पर काम शुरू किया, जिनमें से 64 पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कच्ची बस्तियों और उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल की अनियमित आपूर्ति एक कड़वी सच्चाई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि परिवहन विभाग ने छह साल बाद लोक परिवहन बस सेवा के लिए परमिट देने का निर्णय लिया, जो एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन, जयपुर मेट्रो का सीमित दायरा और सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्त सुविधाएं शहर की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम हैं।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दीर्घकालिक योजना और सख्ती की जरूरत है, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकताएं अल्पकालिक समाधानों तक सीमित दिखती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर में एक मिश्रित तस्वीर पेश करती हैं। सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल जैसे बड़े संस्थान पूरे राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी ने इन सुविधाओं पर दबाव बढ़ा दिया है।

निजी अस्पतालों की महंगी सेवाएं आम जनता की पहुंच से बाहर हैं, और सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित रहता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली कटौती और मेंटेनेंस के लिए 4-6 घंटे की कटौती की घोषणाएं आम हैं, जो स्थानीय निवासियों में असंतोष पैदा करती हैं। सरकार बिजली कनेक्शन प्रदान करने की अवधि को 7 दिन से घटाकर 3 दिन करने का दावा किया, लेकिन यह सुधार जयपुर में अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के मामले में प्रशासन की लापरवाही और अल्पकालिक दृष्टिकोण चिंताजनक है। ड्रेनेज सिस्टम जयपुर की एक और कमजोर कड़ी है। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या शहर की नाकामी को उजागर करती है। संपर्क पोर्टल और सीएम जनसुनवाई में लंबित शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन शिकायतों के निपटारे के लिए साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती इस प्रक्रिया को बाधित करती है।

एक रिपोर्ट में जयपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच विवाद का उल्लेख है, जो शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता की कमी को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति स्थिति को और बदतर बनाती है।रोजगार के अवसर जयपुर में पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योगों के कारण बढ़े हैं, लेकिन यह प्रगति असमान है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पर्यटन से जुड़ी दो परियोजनाओं के लिए 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिनमें आमेर, नाहरगढ़ और जल महल का विकास शामिल है। ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, लेकिन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की कमी एक गंभीर समस्या है। कच्ची बस्तियों में पुनर्वास योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन धीमा और अपर्याप्त है। जेडीए की वेबसाइट के अनुसार, सामुदायिक केंद्र और रिंग रोड जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, लेकिन यह प्रगति कागजों तक सीमित दिखती है।पर्यटन जयपुर की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन इसके कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर जैसे स्थल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और ट्रैफिक जाम पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, खासकर हस्तशिल्प और रत्न उद्योगों से उत्पन्न कचरा, पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है। ठोस अपशिष्ट और रासायनिक कचरे के निस्तारण की कमी एक गंभीर समस्या है। कनेक्ट्राजस्थान के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर की जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, जो जल, बिजली और आवास जैसी सुविधाओं पर दबाव डाल रहा है।जयपुर का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन यह विकास असमान और अव्यवस्थित है।

जेडीए ने अपने क्षेत्राधिकार को 6,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 679 नए गांव शामिल होंगे इस हेतु 10 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 नए जोन स्थापित करने की योजना है। लेकिन, इन योजनाओं का प्रभाव तब तक सीमित रहेगा, जब तक बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता। जयपुर एक ऐसा शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ है। सफाई, पानी, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तत्काल जरूरत है। बिजली, ड्रेनेज और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। शिक्षा और रोजगार में प्रगति हो रही है, लेकिन कच्ची बस्तियों और अतिक्रमण की समस्या जटिल बनी हुई है। पर्यटन और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ बढ़ती जनसंख्या के दबाव को नियंत्रित करना होगा। जयपुर का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब प्रशासन और नागरिक मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें।

–राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार,
शिक्षाविद् और चिन्तक

तेजी से घट रहा भू-जल स्तर, जल संचय के साथ बूंद-बूंद बचत को आदत बनाना होगा

भजनलाल सरकार के प्रयासों से जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जो भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित है। यहां का अधिकांश हिस्सा थार मरुस्थल से आच्छादित है, जहाँ वर्षा की मात्रा अत्यंत कम है। देश के सतही जल का महज 1.16 प्रतिशत और भूमिगत जल का महज 1.72 प्रतिशत राज्य के हिस्से में आता है जबकि देश की 5.67 प्रतिशत आबादी यहां निवास करती है और राज्य में देश का 10.41 प्रतिशत भू-भाग है। भू-जल राजस्थान के लिए जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्त्रोत बन चुका है लेकिन अंधाधुंध दोहन, अनियमित और कम वर्षा तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इस संकट से निपटने के लिए भू-जल संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

सतही जल स्त्रोतों की कमी के कारण राज्य में भू-जल पर निर्भरता अधिक है। अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल निरन्तर नीचे जा रहा है। इसके कारण न केवल पेयजल की समस्या बढ़ी है, बल्कि कृषि पर भी गंभीर असर पड़ा है। जनसंख्या में तीव्र रूप से हो रही वृद्धि, कृषि विकास, बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण इत्यादि के चलते भू-जल दोहन में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो विषय की गंभीरता स्पष्ट समझ में आएगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 302 ब्लॉक्स में से 216 ब्लॉक्स अति दोहित श्रेणी यानि डार्क जोन में हैं, 23 ब्लॉक्स क्रिटिकल और 22 ब्लॉक्स सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। केवल 38 ब्लॉक्स सुरक्षित श्रेणी में हैं जबकि 3 ब्लॉक्स लवणीय होने के कारण इनका रिपोर्ट में आकलन नहीं किया गया। वर्ष 1984 में जब पहली बार 236 ब्लॉक्स का असेसमेंट किया गया था, तब 203 ब्लॉक्स सुरक्षित श्रेणी में और केवल 12 ब्लॉक्स अतिदोहित श्रेणी में थे। समस्या के समाधान के लिए भू-जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें भजनलाल सरकार द्वारा 5 जून, 2025 को आरम्भ किया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मील का पत्थर माना जा सकता है। इससे पूर्व भी राज्य में इस दिशा में किए अभिनव प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं-

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग : निजी और सरकारी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे वर्षा का जल सीधे जमीन में पहुंचकर भू-जल स्तर बढ़ाने में मदद करता है।

जोहड़ और तालाबों का पुनरुद्धार: परम्परागत जल स्त्रोत जैसे जोहड़, बावड़ी और तालाबों की सफाई व गहरीकरण कर उन्हें पुनः जल संचयन के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है।

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान : वर्षा जल के संचयन की दिशा में यह वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शुरु किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अंतर्गत प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि के लिए जिम्मेदारी निभाते हुए जल संचय के कार्यों में उत्साह के साथ भागादारी निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान : इसके अंतर्गत गांवों में सामुदायिक भागीदारी से जल संरचनाएं विकसित की गईं जिससे जल संरक्षण और भू-जल रिचार्ज को बढ़ावा मिला।

सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग : बूंद-बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देकर सिंचाई में जल की बचत की जा रही है।

फसल चक्र और जल अनुकूल कृषि : किसानों को कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे बाजरा, ग्वार और मूंग।

इसी प्रकार, अटल भू-जल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना आदि के प्रभावी क्रियान्वयन से भी भूमिगत जल सहेजने में मदद मिल रही है।

राज्य में जल संरक्षण की मुहिम को सफल बनाने में स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्राम पंचायतों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भू-जल संरक्षण न केवल पर्यावरणीय आवश्यकता है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सरकार, समाज और आमजन सभी की सहभागिता अनिवार्य है। यदि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाएं, तो राजस्थान भविष्य में जल संकट से बच सकता है और एक जल-समृद्ध राज्य बन सकता है। हमें जल संचय की तकनीकों को अपनाने के साथ ही पानी की एक-एक बूंद सहेजने की आदत डालनी होगी। याद रखिए, ''जल है, तो ही कल है''।

पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी

कोटा, (निसं)। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधीकरण की ओर से छात्र-छात्राओं को विधिक सहायता तथा पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी चीफ एडवोकेट रवि विजय एवं असिस्टेंट डिफेंस काउंसलर एडवोकेट कृतिका शर्मा ने बताया कि पर्यावरण दिवस पर महावीर नगर स्थित निशान कोचिंग संस्थान में लगभग 100 से अधिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता तथा पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी दी। पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्रदूषण रोकने के उपाय बताए गये। एडवोकेट रवि विजय ने कहा कि छात्र-छात्राओं को पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताया। पुराने वाहन ना चलायें, सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करें, आसपास के नालों को स्वच्छ रखें और वन्यजीव बचाने और प्रकृति में उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। करणी विकास समिति में डिप्टी चीफ जया सिंह और असिस्टेंट डिफेंस कॉन्सिल वर्षा पारीक ने भी पर्यावरण संरक्षण पर कैम्प आयोजित किया।

'वंदे गंगा' अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ

- प्रभारी मंत्री ने जल पूजन किया, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली
- 'जल है तो कल है' के संकल्प को जीवन में उतारें : दक

कोटा, (निसं)। गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर गुरूवार को जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने चम्बल माता की मूर्ति के पास रिवर फ्रंट पर जल पूजन के साथ 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान का जिला स्तर पर शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री दक एवं प्रभारी सचिव मंजू राजपाल सहित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने चम्बल नदी की आरती की। उन्होंने चम्बल नदी में पुष्प अर्पित किए और चुनरी ओढ़ाई। इससे पहले प्रभारी मंत्री ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। रिवर फ्रंट पर करीब 400 महिलाएं कलश लेकर निकली। कलश यात्रा के माध्यम से मातृशक्ति ने जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरणीय चेतना का जनमानस तक प्रभावशाली संदेश दिया। शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि जन सहभागिता के इस कार्यक्रम के तहत 20 जून तक सभी जल संरक्षण गतिविधियों में भाग लें। उन्होंने कहा कि श्रमदान के माध्यम से कुएं, बावड़ी, सरोवर एवं तालाबों को संरक्षित करें। प्रभारी मंत्री ने सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 'जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है' इस भावना के साथ हमें जल संरक्षण के लिए प्रयास करने हैं। पानी बचाने का जो संकल्प आज लिया है उसे अपने जीवन में उतारें। उन्होंने किसानों से कम से कम पेस्टीसाईड्स काम में लेने, शहरवासियों को प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने तथा घर के बाहर एवं छतों पर पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ प्रकृति का दोहन नहीं करें बल्कि प्रकृति को उसके उपकार के बदले कुछ लौटाएं।

दक ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद दिया जिनके प्रयासों से हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में पिछले साल करीब 7 करोड़ पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान के तहत इस वर्ष 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी की भागीदारी से ही इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में हरी-भरी प्रकृति सौंपे। उन्होंने पानी का सदुपयोग करने, पर्यावरण बचाने एवं जल संरक्षण का संकल्प लेने का आव्हान किया।

कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने बेतरतीब दोहन के कारण लगातार गिर रहे भू-जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमने जल संरक्षण के प्रयास नहीं किए तो आने वाली पीढ़ी पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगी। उन्होंने कहा कि 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान के तहत 20 जून तक सभी को बावड़ी, तालाब और पारम्परिक जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें संरक्षित करना है।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मातृशक्ति को तुलसी के पौधे भेंट किए गए, ताकि वे अपने परिवार और समाज में हरियाली एवं समृद्धि का संदेश प्रसारित करें। उन्होंने पौधारोपण संकल्प अभियान की ऑनलाइन शुरुआत भी की।

शुभारंभ कार्यक्रम में जिले की प्रभारी सचिव मंजू राजपाल, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, केडीए आयुक्त ऋषभ मंडल, आईएएस प्रशिक्षु आराधना चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, तिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला, नगर निगम दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव, जिला परिषद सीईओ राजपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ब्लॉक स्तर पर वंदे गंगा अभियान की शुरुआत चयनित जल स्रोत पर जल पूजन के साथ हुई। इसके साथ ही जिले में कई स्थानों पर तालाबों, सरोवर एवं अन्य जल स्रोतों तक कलश यात्रा आयोजित की गई। हर पंचायत में राजीविका से जुड़ी 21 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। अभियान के पहले दिन जल संसाधन विभाग द्वारा हर ब्लॉक में तालाब, सरोवर एवं अन्य जल स्रोतों पर पूजन एवं कलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पर्यावरण दिवस मनाया

कोटा, (निसं)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और श्रीराम रेयोंस द्वारा संयुक्त तौर पर 5 जून, 2025 को रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन किशोर सागर तालाब पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मंजू राजपाल, आईएएस प्रभारी सचिव, जिला कोटा तथा डॉ. रविन्द्र गोस्वामी जिला कलेक्टर, कोटा थे। मुख्य अतिथियों द्वारा दौड़ की शुरूआत हरी झंडी दिखाकर की गई, जिसमें लगभग 700 प्रतिभागी किशोर सागर के चारों ओर दौड़ लगाकर निर्धारित स्थान पर पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराने की थी, जिस पर डीसीएम श्रीराम के कर्मचारी साथियों ने एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा छत्र विलास उद्यान में वृक्षारोपण किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रतीक चिन्ह के रूप में पौधे भेंट कर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया एवं कपड़े के थैले बांटे।

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2025/33-38 :: **विज्ञप्ति** :: दिनांक 05.06.2025

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.2.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	टाईगर्स पगमार्क एल.एल.पी. जर्ये श्रीमती रागिनी पाडिया	भूखण्ड संख्या R-1 A पण्डित मदन मोहन मालवीय योजना, कोटा	रिसोर्ट	पर्यटन इकाई (होटल)	10486.49

सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

क्रमांक 202 — **जाहिर आम सूचना** — दिनांक - 5.6.25

आवास संख्या 2-ए-20 विकास नगर बून्दी का आवंटन मंडल द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा द्वारा दिनांक 12.03.1991 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा की मृत्यु दिनांक 31.08.2022 को हो चुकी है। श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 13.10.2020 को अपने पुत्र श्री अमित कुमार शर्मा स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा के पक्ष में आलेखित की गई। श्री अमित कुमार शर्मा स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ए-20 विकास नगर बून्दी को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री अमित कुमार शर्मा स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अमित कुमार शर्मा स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अमित कुमार शर्मा स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 628 — **जाहिर आम सूचना** — दिनांक - 5.6.25

आवास संख्या 3-एन-2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कुलदीप सिंह को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री अजय सोगानी पुत्र श्री उत्तम कुमार के नाम दिनांक 17.06.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री अजय सोगानी पुत्र श्री उत्तम कुमार द्वारा दिनांक 18.09.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री अजय सोगानी पुत्र श्री उत्तम कुमार द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 11.10.2002 को मुख्तार आम आलेखित कर श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री डी.एन. प्रसाद को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया गया। श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री डी.एन. प्रसाद मुख्तारआम श्री अजय सोगानी पुत्र श्री उत्तम कुमार द्वारा मुख्तारआम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.04.2025 को श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता को किया गया। श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-एन-2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू/2025/401 — **विज्ञप्ति** — दिनांक:-5.6.25

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना "आनन्द विहार" खसरा नं. 16 में स्थित भूखण्ड संख्या 101 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती प्रिया अरोरा पत्नि श्री हर्षद अरोरा निवासी-फ्लेट नं. 404 प्लान्ट नं. 56-73 सांई सबुरी अपार्टमेंट, नम्रता आवास बजरंग नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 48 दिनांक 13.06.2016 को श्रीमती विनीता गेहानी पत्नि दीपक गेहानी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2019 से श्री अयाज पठान पुत्र श्री चान्द मोहम्मद पठान को किया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण नहीं करवाया गया तथा जर्ये पंजीकृत मुख्तारआम श्री कैलाश चन्द्र टूटेजा पुत्र श्री कन्हैयालाल टूटेजा द्वारा जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2025 से आवेदक को कर दिया गया है।

अतः श्रीमती प्रिया अरोरा पत्नि हर्षद अरोरा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू/2025/399 — **विज्ञप्ति** — दिनांक:-5.6.25

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम तेखडा में स्थित कृषि भूमि योजना अक्षरधाम भूखण्ड संख्या ए-116 खसरा नं. 8 आवेदक/आवेदिका श्री रघुनन्दन सिंह पुत्र श्री तंवर सिंह एवं महेन्द्र पुत्र श्री भैरूलाल निवासी बारखेडा पोस्ट गोलना तहसील खानपुर झालावाड राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 668 दिनांक 27.06.2013 को श्री ओम प्रकाश मेरोठा पुत्र श्री गोपी लाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2017 को शोभा हाडा पत्नि श्री कुलदीप सिंह हाडा को किया गया। जिसका नाम हस्तान्तरण ऑनलाईन क्रमांक 456 दिनांक 28.07.2021 से जारी किया गया। शोभा हाडा द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 12.08.2021 को श्रीमती कमलेश गौतम पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार गौतम एवं श्री राजेन्द्र कुमार गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम के पक्ष में जारी किया गया। क्रेतागण कमलेश गौतम एवं राजेन्द्र कुमार गौतम द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2024 को श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री किशन लाल के पक्ष में किया गया। क्रेता गोविन्द नारायण द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2024 को जर्ये मुख्तारआम मोहम्मद जलील पुत्र श्री अब्दुल नफीस द्वारा आवेदको के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री रघुनन्दन सिंह पुत्र श्री तंवर सिंह एवं महेन्द्र पुत्र श्री भैरूलाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/87 — दिनांक:-2.6.25

नाम हस्तांतरण चाहने बाबत् आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरम-ए भूखण्ड संख्या 107 का नामहस्तांतरण पत्र क्रमांक 997 दिनांक 12.03.2021 को श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी श्री शम्भूदयाल गुप्ता के नाम हस्तांतरण किया गया था। श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी श्री शम्भूदयाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 17.01.2025 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी श्री शम्भूदयाल गुप्ता के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री शम्भूदयाल गुप्ता पुत्र श्रीनाथ गुप्ता एवं श्री ऋषभ अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं सुश्री मिनल सिंघल पुत्री श्री शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 107 श्रीनाथपुरम-ए आवासीय अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या-107 योजना श्रीनाथपुरम-ए आवासीय का नाम हस्तांतरण श्री शम्भूदयाल गुप्ता पुत्र श्रीनाथ गुप्ता एवं श्री ऋषभ अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं सुश्री मिनल सिंघल पुत्री श्री शम्भूदयाल गुप्ता नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/86 — दिनांक:-2.6.25

नाम हस्तांतरण चाहने बाबत् आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरम-बी आवासीय आवास संख्या 239 का आवंटन पत्र क्रमांक 236 दिनांक 06.10.1995 को श्री कजोड़ी लाल पुत्र श्री बिरधी लाल के नाम आवंटन किया गया था। आवंटी श्री कजोड़ी लाल की मृत्यु दिनांक 21.11.2023 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री कजोड़ी लाल पुत्र श्री बिरधी लाल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री रेखलाल महावर पुत्र स्व. श्री कजोड़ी लाल द्वारा उक्त आवास संख्या 239 श्रीनाथपुरम-बी आवासीय अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 239 योजना श्रीनाथपुरम-बी का नाम हस्तांतरण श्री रेखलाल महावर पुत्र स्व.श्री कजोड़ी लाल नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-143 — **विक्रय स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना** — दिनांक:-25.4.25

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना विनोबा भावे नगर आवासीय का भूखंड/आवास संख्या 1142 श्री जानकी लाल शर्मा पुत्र श्री गोगा लाल को आवंटन/नीलामी पत्र दिनांक 28.12.2022 के द्वारा आवंटन किया गया था। अतः उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम विक्रय स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 1142 योजना विनोबा भावे नगर आवासीय की विक्रय स्वीकृति श्री जानकी लाल शर्मा पुत्र श्री गोगा लाल जर्ये मुख्तारआम श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

पश्चिम मध्य रेल

सिगनल एवं दूरसंचार विभाग

निविदा सूचना-दिनांक-03.06.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी.(सिगनल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्यो Tender No. KOTA/SNT/ SIG/ 2025/13 के लिये निर्धारित ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय नीचे दर्शाया गया है। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। **टेन्डर सं.**-कोटा/ एस एण्ड टी/ सिग./2025/13, **कार्य का नाम**- रिप्लेसमेन्ट ऑफ सीसीआईपी विथ बीडीयू एट कोटा आरआरआई फॉर इनहेन्सिंग ऑपरेशनल एफिशियेन्सी। **कार्य की अनुमानित लागत**-रू.1,34,95,001/-, **बयाना राशि**-रू. 2,17,500/-, **तारीख एवं समय**-दिनांक 01.07.2025 को 15:00 बजे तक। पूर्ण विवरण वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई हैं। निविदा / बोलीदाताओं के पास कक्षा III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहियें। पंजीकृत निविदाए GSTIN पर रजिस्टर होना चाहिये।

(हस्ता.)
वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय)
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मण्डल

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

सिगनल एवं दूरसंचार विभाग

निविदा सूचना-दिनांक-04.06.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी.(सिगनल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्यो Tender No. KOTA/SNT/ SIG/ 2025/10, KOTA/SNT/ SIG/ 2025/14 के लिये निर्धारित ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय नीचे दर्शाया गया है। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। **क्र.सं.-01-टेन्डर सं.**-कोटा/ एस एण्ड टी/ सिग./2025/10, **कार्य का नाम** -कोम्परहेंसिव एनुअल मेंटिनेंस कॉन्ट्रैक्ट (एएमसी) फोर इंटिग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आईपीएस) ऑफ स्टैटकॉन मेक ऑन कोटा डिविजन।[2025] **कार्य की अनुमानित लागत**-रू.2,78,36,201.88/-, **बयाना राशि**-रू. 2,89,200/-, **तारीख एवं समय**-दिनांक 04.07.2025 को 15:00 बजे तक। **क्र.सं.-02-टेन्डर सं.**-कोटा/ एस एण्ड टी/ सिग./2025/14, **कार्य का नाम** -प्रोवीजन ऑफ गार्ड रिपीटर सिगनल इन्डीकेटर फॉर इनहेन्सिंग विसिब्लिटी एट सलेक्टेड लोकेशन ऑन कोटा डिवीजन (कोटा, इन्द्रगढ, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, मांडलगढ स्टेशन्स) **कार्य की अनुमानित लागत**-रू.52,89,950.36/-, **बयाना राशि**-रू. 1,04,600/-, **तारीख एवं समय**-दिनांक 04.07.2025 को 15:00 बजे तक। पूर्ण विवरण वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई हैं। निविदा / बोलीदाताओं के पास कक्षा III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहिये। पंजीकृत निविदाए GSTIN पर रजिस्टर होना चाहिये।

(हस्ता.)
वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय)
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मण्डल

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

पर्यावरण सप्ताह का समापन हुआ

कोटा, (निसं)। विश्व पर्यावरण दिवस पर चम्बल फर्टिलाईजर्स द्वारा पर्यावरण रैली, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। पर्यावरण सप्ताह का समापन प्लांट परिसर में कार्यक्रम किया गया जहाँ कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पर्यावरण सप्ताह के दौरान पेंटिंग, पोस्टर्स, स्लोगन, निबंध लेखन, पर्यावरण प्रश्नोत्तरी आदि सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कंपनी के हेड मैन्युफैक्चरिंग, अजय तायल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया, एवं अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्लास्टिक प्रतिबंधित करने का सभी से आग्रह किया। तायल ने कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण में किये जा रहे कार्यों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कंपनी द्वारा पर्यावरण सरंक्षण के उद्देश्य से किये गए तकनीकी एवं वित्तीय निवेश के बारे में बताया एवं भविष्य में भी पर्यावरण को कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। चम्बल द्वारा विकसित टॉउनशिप एवं ग्रीन बेल्ट पर्यावरण सरंक्षण का जीता जगता उदाहरण है, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने आने वाले 2-3 वर्षों में अधिक से अधिक पौधे लगाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। वृक्षारोपण और समापन कार्यक्रम में कंपनी के वाईस प्रेजिडेंट-टीएससी, रजनीश छाबा, आकाश वर्मा, एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

'तालाबों पर से अतिक्रमण हटाना बेहद जरुरी'

कोटा, (निसं)। तालाब बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज दुबे ने तालाबों से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनोज दुबे ने कहा की गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के पावन संयोग पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'वंदे गंगा-जल संरक्षण जन अभियान' का शुभारंभ, बेहद सराहनीय एवं राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। लेकिन अभियान की पूर्ण सफलता के लिए तालाबों पर से अतिक्रमण हटाना बेहद जरुरी है।

मनोज दुबे ने कहा की तालाबों, नदियों, कुओं, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने और इनको संरक्षित करने में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। वर्षा जल के अधिक संग्रहण तथा जल स्रोतों के रख-रखाव एवं स्वच्छता के लिए व्यापक स्तर पर तालाबों, नदियों, कुओं, बावड़ियों की सफाई एवं अतिक्रमण से मुक्त करने से आवश्यकता है। सरकार तालाबों पर अतिक्रमण पर कडाई से रोक लगाई जाएं।

मनोज दुबे ने कहा की पर्यावरण केवल हमारे जीवन का आधार नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का मूल स्रोत भी है। हमें संकल्प लेकर प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनना होगा एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर जलवायु परिवर्तन के खतरे को समझते हुए सतत विकास की दिशा में छोटे-छोटे कदमों से बड़ा परिवर्तन लाना होगा। स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्ची विरासत है।

चार धाम यात्रियों को रवाना किया

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर से करीब 100 महिला और पुरुष का ग्रुप 05 जून गुरुवार को चार धाम की यात्रा पर समाजसेवी सुनील गोयल के नेतृत्व में रवाना हुआ। यात्रियों को नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल, भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र काला व भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश गोविंद ने फुल माला पहना स्वागत कर रवाना किया। यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हो कर गंगोत्री धाम, यमनोत्री धाम व 12 व13 तारीख को केदारनाथ धाम दर्शन कर, बद्रीनाथ धाम जाएगी तथा ऋषिकेश हो कर रामगंजमंडी प्रस्थान करेगी। ग्रुप में यात्रियों की संखिया 100 से भी अधिक है।

गर्भवती महिला को एसडीपी उपलब्ध कराई

कोटा, (निसं)। टीम जीवन दाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि डाबी से कोटा लाई गई एक गर्भवती महिला को एबी पॉजिटिव एसडीपी की आवश्यकता थी, ऐसे में परिजन के होने से एसडीपी के बारे में नहीं समझ पा रहे थे, निरंतर समय निकल रहा था, चिकित्सकों ने जब व्यवस्था नहीं हो पाई तो टीम जीवन दाता से संपर्क के लिए कहा, ऐसे में भुवनेश गुप्ता ने कई जगह प्रयास किया लेकिन दुर्लभ ग्रुप होने के कारण एसडीपी डोनर नहीं मिल पा रहे, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने वाले अंशु गुप्ता अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने तीसरी बार एबी पॉजिटिव एसडीपी डोनेट की है।

विश्व पर्यावरण दिवस मनाया

रामगंजमंडी, (निसं)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय रामगंजमंडी में गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुस्तकालय के पाठकों और स्टाफ द्वारा वर्ष 2024 में लगाए गए 25 पौधों की प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पौधों को कुमकुम-तिलक लगाकर पूजा-अर्चना से की गई। इसके उपरांत पर्यावरण संरक्षण की भावना को सुदृढ़ करते हुए पुस्तकालय परिसर में 10 नए पौधों का रोपण किया गया। नवरोपित पौधों में गुलमोहर, मीठा नीम, बड़, गुलाब, जंगल जलेबी, अशोक एवं पपीता जैसे पर्यावरण हितैषी पौधे शामिल रहे। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पाठकों और पुस्तकालय स्टाफ ने सभी पुराने व नए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल करने की शपथ ली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता फैलाना एवं हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के अंत में पुस्तकालयअध्यक्ष कैलाश चंद राव ने सभी पाठकों और उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लखविंदर सिंह, हितेश कुमार चौधरी, नंद सिंह हाड़ा, पूजा गुर्जर, सुनील मीणा, एरांता गुर्जर, नीलम, प्रियंका, प्रियंका मीणा, माया, राधा व काजल सहित आदि पाठकगण उपस्थित रहे और सभी ने पौधारोपण में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। विज्ञान नगर थाना इलाके में कार्यवाही करते हुए अवैध देशी हथियार पिस्टल मय दो जिंदा कारतूस सहित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए संजय नगर उड़िया बस्ती निवासी हिस्ट्रीशीटर तालिब खान से अवैध देशी पिस्टल मय दो जिंदा कारतूस बरामद किये।

खोया पाया

दिनेश कुमार खंडेलवाल पुत्र राधेश्याम 3-F-60 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा का हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्राप्त भौतिक कब्जा पत्र गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें।
दिनेश कुमार संपर्क सूत्र 9772643778,
मकान नं. 3-F-60

आम सूचना वास्ते बेदखली

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारान अनिल कुमार विजयवर्गीय स्व. श्री कृष्णचंद विजयवर्गीय व आशा विजय पत्नी श्री अनिल कुमार विजयवर्गीय निवासीगण-3-जी-28 दादाबाड़ी कोटा राज. की चार संताने जो क्रमशः हिमांशु, गुंजन, नेहा, रजनी है जो मेरे पक्षकारान के अनुरुप नहीं है और चारों बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है। जिसके कारण मेरे पक्षकारान के जीवन में भारी अशांति हो गयी है। इस कारण मेरे पक्षकारान की वृद्धावस्था व स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और इस कारण उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इस कारण मेरे पक्षकारान ने पूर्ण होंश हवास व स्थिरप्रज्ञ स्थिति में काफी सोचविचार कर यह निर्णय लिया है कि मेरे पक्षकारान अपनी चारों संतानों से अपने सभी संबंध विच्छेद करते है। आज के बाद मेरे पक्षकारान उनकी चारों संतानों से कोई संबंध नहीं रहेगा और न ही मेरे पक्षकारान की किसी/समस्त सम्पत्ति में उनका कोई हक होगा और अपनी चारों संतानों को अपनी समस्त जात-जायदाद से बेदखल करते है। आज के बाद कोई भी यदि इन चारों से किसी भी प्रकार का संव्यवहार करेगा तो वह अपने जोखिम पर करेगा उसमें मेरे पक्षकारान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
कोटा दिनांक : 05.06.2025

भवदीय
सोनल विजयवर्गीय एडवोकेट

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांक:-ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7484-85 — दिनांक:-05.06.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री शिव बोस पुत्र श्री एस.सी. बोस निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) नगर निगम कोटा की होटल/रिसोर्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "THE ECO HOTEL & RESORT" ए-46-ए झालावाड़ रोड, आईपीआइए कोटा में संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित हो।

राजस्व अधिकारी नगर निगम कोटा (दक्षिण)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/2655 — दिनांक: 5.6.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमेश चंद अदलक्खा पुत्र श्री होवना राम खत्री, श्री विनोद अदलक्खा पुत्र श्री रमेश चंद अदलक्खा एवं श्री देवेन्द्र कुमार अदलक्खा पुत्र श्री रमेश चंद अदलक्खा निवासी शुभम विला कोटा रोड बारां (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 75-सी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3075 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 75-सी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3075 वर्गफुट का स्वामित्व कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक ननिको/भ.नि.अनु./मुख्यालय जोन/2012/3757 दिनांक 13.06.2012 से श्रीमती राज अदलक्खा पत्नी श्री रमेश चन्द्र अदलक्खा के नाम हस्तांतरित किया गया। श्रीमती राज अदलक्खा का देहावसान दिनांक 28.09.2023 को हो जाने के उपरांत श्रीमती राज अदलक्खा के विधिक वारिसान श्रीमती सुनीता बाठला पुत्री श्री रमेश चंद अदलक्खा पत्नी श्री प्रदीप बाठला एवं श्रीमती विनीता भाटिया पुत्री श्री रमेश चन्द्र अदलक्खा पत्नी श्री संदीप कुमार भाटिया ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 16.05.2025 से उक्त भूखंड में से स्वयं का हक श्री रमेश चंद अदलक्खा पुत्र श्री होवना राम खत्री, श्री विनोद अदलक्खा पुत्र श्री रमेश चंद अदलक्खा एवं श्री देवेन्द्र कुमार अदलक्खा पुत्र श्री रमेश चंद अदलक्खा के पक्ष में त्याग दिया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

"वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण होगा : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गंगा दशहरा के अवसर पर बूंदी के केशोरायपाटन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी के केशोरायपाटन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

बूंदी/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक आवश्यकता पानी की है। इसलिए हमारी सरकार ने ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, माही बांध एवं देवास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में कर्म भूमि से मातृ भूमि अभियान के जरिये जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। वहीं, हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में प्रदेश में जल उपलब्धता और जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा के अवसर पर बूंदी के केशोरायपाटन में 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आमजन की सहभागिता से तालाब, पोखर, सरोवर व बांध में जल संचय का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि के साथ ही आमजन को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बल राजस्थान के लिए केवल एक नदी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए पेयजल एवं सिंचाई का भी प्रमुख स्त्रोत है। इस पर बने बांधों से बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि चम्बल के पानी से कोटा, बारां एवं बूंदी में 2 लाख 29 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। इसके बेसिन में 7 हजार 355 करोड़ रूपये की लागत से परवन वृहद् सिंचाई परियोजना का कार्य कराया जा रहा है, जिससे कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र सृजित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बल नदी पर धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य चल रहा है, जिससे धौलपुर जिले में लगभग 40 हजार हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। मानसून के दौरान चम्बल नदी के अधिशेष पानी को लिफ्ट करके धौलपुर जिले में पानी की कमी वाले पार्वती बांध और रामसागर बांध को भरने का काम किया जाएगा। इसलिए चंबल जैसी नदियों एवं अन्य जल स्त्रोतों को सहेजने एवं उनके संरक्षण के लिए 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान के रूप में एक नई पहल की गई है। शर्मा ने कहा कि 'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जल स्त्रोतों की साफ-सफाई के कार्य किए जाएंगे और परंपरागत जलाशयों के स्वरूप को पुनः बहाल किया जाएगा। यह अभियान आगामी 20 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर गांव, हर शहर और हर व्यक्ति तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचे और राजस्थान पूरे देश में जल संरक्षण के प्रयासों की एक मिसाल बने।

- **मुख्यमंत्री ने केशव घाट पर विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ चम्बल मां (चर्मण्यवती नदी) की पूजा की**

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से 17 जिलों की जल आवश्यकता पूरी होगी साथ ही, 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ (कूल नदी), महलपुर (पार्वती नदी) व नवनेरा (कालीसिंध नदी) बैराज का पानी बीसलपुर और इसरदा बांधों में लाया जा सकेगा। वहीं, शेखावाटी क्षेत्र को भी यमुना का जल मिलेगा। शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान प्रारंभ किया। हमारी सरकार ने भी पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में जल उपलब्धता के लिए निरंतर भगीरथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत केशव घाट पर विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ चम्बल मां (चर्मण्यवती नदी) की पूजा की। उन्होंने चुनरी महोत्सव में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री द्वारा अर्पित की गई चुनरी को नाव और बोट्स के माध्यम से चम्बल नदी पर केशव घाट से रंगपुर घाट तक ले जाया गया। इससे पहले शर्मा ने श्री केशवराय मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उन्हें 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान की पहल के लिए अभिनन्दन पत्र दिया। इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

दो नाबालिग से दुष्कर्म

बीकानेर, (निसं)। श्रीडूंगरगढ़ में दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों के साथ एक मंदिर के पुजारी ने रेप किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दो नाबालिग लड़कियां अपने ननिहाल आई हुई थी। आठ और नौ साल की ये मासूम बच्चियां परिजनों को बिना बताए एक मंदिर में दर्शन करने चली गई। मंदिर पुजारी ने पहले प्रसाद देने के बहाने उनसे बात की, फिर नई चप्पल देने के बहाने मंदिर के पीछे ले गया, जहां दोनों के साथ दुष्कर्म किया।

"वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" को हमें जन-जन का अभियान बनाना है : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधि-विधान से पीपल का वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया।

ब्यावर, (निसं)। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान" की शुरुआत ब्यावर में की गई। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधि-विधान से पीपल का वृक्षारोपण कर "वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान" का शुभारंभ किया और उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण व पर्यावरण संतुलन हेतु जागरूक किया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जल संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा संकल्प है। "वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" को हमें जन-जन का अभियान बनाना है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, जल-संरक्षण और पॉलिथीन के प्रयोग से बचना बेहद जरूरी है। उन्होंने ब्यावर के युवाओं की नवाचारी सोच की सराहना करते हुए कहा कि ब्यावर के युवा भी विकसित भारत की दिशा में नवाचार कर रहे हैं। इसी क्रम में युवा स्टार्टअप कार्तिकेय देवड़ा द्वारा निर्मित जैव अपघटनीय व कम्पोजेबल कैरी बैग्स का वितरण किया गया। इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री ने इसे राज्य स्तरीय पहचान दिलाने का आश्वासन भी दिया। जिला कलेक्टर डॉ. खड़गावत द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ब्यावर में वन क्षेत्र और खनन क्षेत्र के संतुलन के साथ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वंदे गंगा जैसे अभियान इस दिशा में नई ऊर्जा देंगे। हमें बारिश का हर बूंद पानी सहेजना है, वाटर लेवल बढ़ाना है और सीएसआर के माध्यम से पानी की समस्याओं को दूर करना है।

सभी उपस्थित जनों ने वंदे गंगा अभियान को सफल बनाने का आव्हान किया। अटल वाटिका परिसर में हुए इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विधायक शंकरसिंह रावत, विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह कानावत, प्रभारी सचिव विश्राम मीणा, कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत, अति. कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, परिषद आयुक्त, उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह, एसीईओ गोपाललाल सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

खराब फर्नीचर देने पर कंपनी को हर्जाना चुकाने के आदेश

- **राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर ने फैसला सुनाया**

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता को राहत देते हुए फर्नीचर निर्माता कंपनी को खराब फर्नीचर देने पर भुगतान राशि लौटाने के साथ ही हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह मामला उपभोक्ता मनोज रहडू की ओर से मैनहटन फर्नीचर्स (द सोफा मेकर एलएलपी) के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें खराब गुणवत्ता वाले सोफे की आपूर्ति और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया गया था।

जानकारी के अनुसार बासनी सरस्वती नगर निवासी मनोज रहडू ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 17 अक्टूबर 2017 को मैनहटन फर्नीचर्स से सोफा-कम-बेड खरीदा था। कंपनी ने विज्ञापन में जिस गुणवत्ता और सुविधाओं का दावा किया था, वह सोफे में नहीं मिली। सोफा बनाने में प्रयुक्त सामग्री घटिया थी। हैंडरेस्ट, कुशन और अन्य वादे किए गए फीचर्स भी नहीं थे। इसके अलावा सोफे के उपयोग से उपभोक्ता को शारीरिक और मानसिक परेशानी भी हुई। परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) जोधपुर के पीठासीन अध्यक्ष डॉ. श्यामसुंदर लाटा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने अपने आदेश में माना कि कंपनी द्वारा उपभोक्ता को घटिया गुणवत्ता का सोफा-कम-बेड दिया गया, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षति हुई। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को दो माह के भीतर सोफे की कीमत 46 हजार 800 रुपए, मानसिक क्षति के लिए एक लाख रुपए और मुकदमे का खर्च पांच हजार रुपए अदा करें। यदि भुगतान समय पर नहीं किया गया तो वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

फर्नीचर कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर में अपील की। राज्य आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छवाहा और सदस्य लियाकत अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला आयोग के फैसले को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि अपील में देरी और गुण-दोष दोनों के आधार पर जिला आयोग का आदेश बरकरार रहेगा।

पानी की मांग को लेकर समर्थकों के साथ पार्षद टंकी पर चढ़ा

- **कई घंटों की समझाइश के बाद पार्षद दलपत वैष्णव को नीचे उतारा**

जोधपुर, (कासं)। शहर में पानी की समस्या को लेकर आए दिन धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि पानी की मांग को लेकर टंकी पर भी चढ़ रहे हैं। हाल ही में एक महिला प्रधान व उपसरपंच पानी की टंकी पर चढ़े थे। अब गुरुवार को सुबह एक पार्षद अपने समर्थकों के साथ टंकी पर चढ़कर बैठ गया। कई घंटों की लंबी समझाइश के बाद वह नीचे उतरा।

पानी की समस्या को लेकर नगर निगम दक्षिण में वार्ड नंबर दो से पार्षद दलपत वैष्णव गुरुवार सुबह हुडको चौराहा पर शुभम अस्पताल के पास टंकी पर चढ़ गए। पार्षद का कहना है कि उनके वार्ड के कमला नेहरू नगर, हुडको क्वार्टर जैसे एरिया में पानी प्रेशर से नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही वार्ड नंबर चार में भी यही समस्या है। पार्षद ने बताया कि चार साल से इस मामले को लेकर हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी से भी बातचीत हुई है लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। हालत ये है कि टंकी के आसपास के घरों में भी पानी प्रेशर से नहीं आ रहा है। इस कारण लोगों को टैंकरों से पानी मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। एक टैंकर पीने के मीठे पानी का 700 और नहाने-धोने के खारा पानी का 400 रुपए ले रहा है। पार्षद ने बताया कि कल ही जलदाय विभाग ने यहां 12 कनेक्शनों को अवैध बताते हुए काट दिया। जिस पर लोगों ने कहा कि उनके कनेक्शन वैध हैं। ये कनेक्शन घरों से सौ फीट दूर पर डाली हुई पाइप लाइन से जुड़े हुए थे। अब विभाग का रहा है कि इनको दोबारा 700 फीट दूर डाली गई पाइपलाइन से जोड़ो और सड़क खोदने-बनाने सहित सारा खर्चा भी खुद ही वहन करो। टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर प्रतापनगर एसीपी रविंद्र बोथरा, एक्सईएन नेमीचंद गहलोत, एईएन राधा रानी भी पहुंचे। लंबी समझाइश के बाद पार्षद नीचे उतरे।

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

क्रमांकः- एफ.10/EE-city/2025-26/4671 दिनांकः- 03.06.2025

:: अल्पकालीन ई-निविदा सूचना ::

(UB NO. DLB2526WSOB06612)

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से विभिन्न सिविल कार्यो हेतु ऑनलाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यो की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्ते आदि http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं https://lsg.Rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

महापौर, नगर निगम जोधपुर-दक्षिण — आयुक्त, नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

राज.संवाद/सी/25/3680

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर, जिला - पाली

क्रमांक : न.पा.सु/विकास/ई-निविदा/2025-26/1733 दिनांक : 04.06.2025

-: अल्पकालीन ई-निविदा 08/2025-26 सूचना :-

नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर की ओर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा द्वारा 02 विकास कार्यो की कुल लागत 17.43 लाख रूपये की निविदा आमंत्रित की जाती है। आंशिक अथवा पूर्णतः निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार ई-निविदा स्वीकृत अधिकारी को होगा। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्ते कार्यालय में एवं विभाग की वेब साईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व पढी जा सकती है।

जिनके UBN No. निम्नलिखित है:-

1. DLB2526WSOB06791
2. DLB2526WSOB06792

Bid Selling Last Date	10/06/2025 / 10.00 Am

राज.संवाद/सी/25/3596 प्रशासक अधिशाषी अधिकारी

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Office of Superintending Engineer (Project)
Corporate Identification Number (CIN) – U40109RJ2000SGC016482
Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer 305004
Ph./Fax-0145-2644094, 2644064, E-mailseprojectavvnl@gmail.com
Website:-www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

Short Term E- Tender Notice

E-bids are invited in two parts (Techno-Commercial Bid & Price Bid)from eligible bidders for Supply, Erection, Installation, Testing & commissioning of material/equipment for development of distribution infrastructure work for Segregation of 11 KV mixed feeders at14 circles (Ajmer, Bhilwara, Beawar, Nagaur, Deedwana-Kuchaman, Jhunjhunu, Sikar, Dungarpur, Chittorgarh, Udaipur, Rajsamand, Salumber, Pratapgarh, Banswara) of AVVNL, Rajasthan under Revamped Reforms-Based and Results-Linked, Distribution Sector Scheme on turnkey basis against TN-154 to 169. All the details regarding tenders are available at our website www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl and www.eproc.rajasthan.gov.in. In future, corrigendum/extension etc. if any, shall be published only at web site www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl and www.eproc.rajasthan.gov.in. UBN - AVV2526WLOB00134

Raj.Samwad/C/25/3573 Superintending Engineer (Project)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, राजगढ (चूरू)

E- Mail Address - eonp.sdlp@ yahoo.in Fax & Phone :- 01559 – 222039

क्रमांक :-न.पा.रा./2025-26/1388-1389 दिनांक :- 02.06.2025

निविदा सूचना 13/2025-26

समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/प्लेसमेन्ट एजेन्सियों/कम्पनीयों/फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका राजगढ़ द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए निविदा आमन्त्रण की जा रही हैं। निविदाऐं दिनाकं 12.06.25 को सांय 06:00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 13.06.2025 को सांय 02:00बजे तक प्राप्त की जावेगी, तथा निविदाऐं दिनांक 13.06.2025 को सांय 04:00बजे सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी। जिसकी निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण व शर्ते वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं।

NIB Code	UBN No.
DLB2526A1947	DLB2526WSOB06494
	DLB2526WSOB06496
	DLB2526WSOB06497
	DLB2526WSOB06498
	DLB2526WSOB06499
	DLB2526WSOB06501
	DLB2526WSOB06506

राज.संवाद/सी/25/3601 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद निम्बाहेड़ा जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपनि/निर्माण/25-26/1648 दिनांक 04/06/2025

निविदा सूचना नं. 07/2025-26

नगरपरिषद निम्बाहेड़ा द्वारा नगर निकाय में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य विभागो में 'ए' एवं 'एए' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाईड eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण sppp.rajasthan.gov.in के NIB Code DLB2526A2033 पर भी देख सकते है :-

कार्य निविदा के कार्य	कुल 6 कार्य
निविदा की अनुमानित लागत	राशि 560.00 लाख रूपये
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलने की दिनांक	04.06.2025 प्रातः 10.00 बजे से
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक	16.06.2025 प्रातः 10.00 बजे से
ऑन लाईन राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक	16.06.2025 प्रातः 10.00 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	17.06.2025 दोपहर 12.00 बजे
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड मूल्यांकन पश्चात

Unique Bid Number

(DLB2526WSOB06709), (DLB2526WSRC06701), (DLB2526WSRC06702) (DLB2526WSRC06704), (DLB2526WSRC06705), (DLB2526WSRC06708)

प्रशासक, नगर परिषद निम्बाहेड़ा — आयुक्त, नगर परिषद निम्बाहेड़ा

राज.संवाद/सी/25/3638

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd. JAIPUR

No. NIT/2025-26/7339-52 ई-निविदा सूचना / 2025-26 Date : 04.06.2025

निम्नलिखित कार्य के लिए केंद्र/राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों एवं उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण	कार्य की कुल अनुमानित लागत (रु.)	निविदा सूचना संख्या
Renewal work on Jaipur-Nagaur Road. Sr. No. 03 UBN: (3) RRC2526WLOB00238	7398.59 Lakh	ई-089/ 25-26
Electrification, DG Set, Sub-Station and ELV work in CCB at District Nagaur & Bhilwara. (02 No. works) UBN: (1) RRC2526WSOB00247 (2) RRC2526WLOB00248	632.48 Lakh	ई-134/ 25-26

निविदा से संबंधित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित संपूर्ण विवरण एवं संशोधन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http://pwd.rajasthan.gov.in/rsrdc पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। महाप्रबंधक

RAJASTHAN LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD

Pashudhan Bhawan Parisar, Tonk Road, Jaipur
Phone: 0141-4064974, 2742314

No. :- FV()RLDB/RGM-Fertility Camp/2024/3173 Dated :- 04/06/2025

INVITATION OF E-BIDS FOR PROCUREMENT OF FEED SUPPLEMENT (Minerals Plus Vitamins) (Rate Contract)

E-bids are invited from 10.00 AM on 05.06.2025 to 5.00 PM on 04.07.2025 from the Manufacturers for the procurement of Feed Supplement (Minerals Plus Vitamins) having an estimated value of Rs. 315.70 Lakh for the institutions of Department of Animal Husbandry for a period of 2 year. Details of the bidding document may be seen on the State Public Procurement Portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) and RLDB website i.e. rldb.rajasthan.gov.in and may be downloaded from there.

UBN : ANH2526GLRC00096

Raj.Samwad/C/25/3594 Chief Executive Officer

नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक-निर्माण शाखा/निविदा/2025/606-608 दिनांक : 02.06.2025

निविदा सूचना

नगर पालिका रतनगढ़ की और से नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजिकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाऐ आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 30.05.2025 से दिनांक 09.06.2025 शाम 6 बजे तक अनुसार डाऊनलोड तथा अपलोड एंव दिनांक 010.06.2025 को दोपहर 2 बजे खोली जायेगी। समस्त कार्यो के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नगर पालिका रतनगढ़ में पंजिकृत सक्षम संवेदको द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभागो में पंजिकृत सक्षम संवेदको द्वारा 2 प्रतिशत राशि का डी.डी. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रतनगढ़ के नाम व रूपये 500/- का डी.डी "M.D. RISL Jaipur" के नाम जयपुर में देय से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व नगर पालिका रतनगढ़ में प्रस्तुत करना होगा।

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.sppp.raj.nic.in http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB code- DLB2526A1882

UBN:-

DLB2526WSOB06284	DLB2526WSOB06286	DLB2526WSOB06287
DLB2526WSOB06288	DLB2526WSOB06289	DLB2526WSOB06291
DLB2526WSOB06293	DLB2526WSOB06295	DLB2526WSRC06297
DLB2526WSOB06299	DLB2526WSOB06302	DLB2526WSOB06304
DLB2526WSOB06306	DLB2526WSOB06309	DLB2526WSOB06310
DLB2526WSOB06312	DLB2526WSOB06313	DLB2526WSOB06314
DLB2526WSOB06315	DLB2526WSRC06316	DLB2526WSRC06317
DLB2526WSRC06318	DLB2526WSOB06319	DLB2526WSRC06323
DLB2526WSOB06329	DLB2526WSOB06331	DLB2526WSRC06332
DLB2526WSOB06333	DLB2526WSOB06334	DLB2526WSOB06335
DLB2526WSRC06336	DLB2526WSOB06337	DLB2526WSOB06341
DLB2526WSOB06342		

राज.संवाद/सी/25/3580 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद, चौमूँ-जयपुर (राज.)

Tel-01423-220036 e-mail:chomu.jaipur@yahoo.com

क्रमांक/न.प. चौमूँ/2025/839 दिनांक 03.06.2025

-:: शुद्धि-पत्र(CORRIGENDUM) ::-

इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा सूचना कमांक 689 दिनांक 22.05.2025 में उल्लेखित संवेदक/निविदादाता योग्यता संबंधी शर्तो में निम्नानुसार संषोधन किया जाता है:-

1. निविदा सूचना के बिन्दु सं. I(8) अनुसार निविदा में भाग लेने वाली इच्छुक निविदादाता फर्म को विगत पांच वित्तीय वर्षो (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में टेण्डर वैल्यू के बराबर टर्न ऑवर के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउटेंट) से प्रमाणित दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक था। जिसमें संषोधन करते हुये इच्छुक निविदादाता फर्म को विगत पांच वित्तीय वर्षो के स्थान पर विगत तीन वित्तीय वर्षो (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के टेण्डर वैल्यू के बराबर टर्नऑवर के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउटेंट) से प्रमाणित दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
2. निविदा सूचना के बिन्दु सं. I(9) अनुसार निविदा में भाग लेने वाली इच्छुक निविदादाता फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/निगम/बोर्ड द्वारा विगत पांच वित्तीय वर्षो में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समान प्रकृति के कार्य का संतोषप्रद कार्य करने के संबंध में जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक था। जिसमें संशोधन करते हुये इच्छुक निविदादाता फर्म को विगत पांच वित्तीय वर्षो के स्थान पर विगत तीन वित्तीय वर्षो (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समान प्रकृति के कार्य का संतोषप्रद कार्य करने के संबंध में जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
3. निविदा सूचना के बिन्दु सं. II में उल्लेखित कार्य की अवधि अनुबंध निष्पादन/कार्यादेश जारी किये जाने की दिनांक से वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 सह्वन से अंकित होने के कारण उक्त के स्थान पर केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 की पढा जावें।
4. निविदा की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

NIB CODE : DLB2526A1608
UBN NO. : DLB2526SLOB05530, DLB2526SLOB05532
TENDER ID : 2025_DLB_471777_1, 2025_DLB_471835_1

सभापति, नगर परिषद चौमूँ — आयुक्त, नगर परिषद चौमूँ

राज.संवाद/सी/25/3635

RIICO GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान सरकार का उपक्रम

RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक क्षेत्रों में संस्थानिक/ वाणिज्यिक/ ग्रुप हाउसिंग एवं गैर औद्योगिक भूखण्डों का (सरल ई-नीलामी के माध्यम से) आवंटन

अंतिम 4 दिन शेष

कुल भूखण्ड	अस्पताल/नर्सिंग होम/डिस्पेंसरी	व्यावसायिक भूखण्ड	आवासीय/ग्रुप हाउसिंग	वे ब्रिज	होटल	पेट्रोल पम्प/CNG स्टेशन	स्कूल	संस्थानिक
379	20	165	133	11	13	11	05	21

ईएमडी अंतिम तिथि : 09 जून, 2025 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन बिड प्रारम्भ तिथि: 10 जून, 2025 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 12 जून, 2025 (सायं 05:00 बजे)

15 आबू रोड़, 07 जयपुर (उत्तर), 16 अजमेर, 02 जयपुर (दक्षिण), 12 अलवर, 14 जयपुर (ग्रामीण), 13 भिवाड़ी-I, 15 ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर, 09 भिवाड़ी-II, 06 बालोतरा, 21 बोरानाडा, 12 किशनगढ़, 02 दौसा, 15 नीमराना, 05 घिलोठ

ईएमडी अंतिम तिथि : 10 जून, 2025 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन बिड प्रारम्भ तिथि: 11 जून, 2025 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 13 जून, 2025 (सायं 05:00 बजे)

07 उदयपुर, 06 श्रीगंगानगर, 04 बांसवाड़ा, 22 झालावाड़, 14 भरतपुर, 10 झुंझुनू, 38 भीलवाड़ा, 22 कोटा, 17 बीकानेर, 01 नागौर, 07 चूरू, 10 राजसमंद, 02 पाली, 45 सवाई माधोपुर, 10 सीकर

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएप: +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in

RIICO Mobile App Download on the App Store — Download RIICO Mobile App Get it on Google Play

आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें https://riico.rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in

राज.संवाद/सी/25/3661

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") AND REGULATION 31(A)(5) OF SEBI (LISTING OBLIGATION AND DISCLOSURE REQUIREMENT) REGULATIONS, 2015 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CHAMBAL BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED

Corporate Identification Number : L99999RJ1985PLC046460
Registered Office : House No. 30, 2nd Floor, DAV School Kei Pass, Talwandi, Kota-324005, Kota, Rajasthan, India
Contact Number: +91 7443500607; **Email Address:** chambalbreweries@gmail.com; **Website :** www.chambalkota.in

*Open Offer for acquisition of upto 19,47,077 (Nineteen Lakhs Forty Seven Thousand Seventy Seven only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00/- each (Indian Rupees Ten) **("Offer Shares")** of Chambal Breweries And Distilleries Limited **("Target Company"** or **"TC")** representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the Equity and Voting Share Capital (as defined below) from the Public Shareholders (as defined below) of the Target Company by M/s. Invade Agro Limited **("Acquirer")** pursuant to and in compliance with Regulation 4 read with Regulations 13(4), 14(3) and 15(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Regulation 31(A)(5) Of Sebi (Listing Obligation And Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as amended from time to time **("Open Offer" or "Offer").***

This detailed public statement ("DPS") is being issued by Gretex Corporate Services Limited, ("the Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer to the public shareholders (as defined below) of the target company pursuant to and in compliance with Regulations 4 read with 13(4), 14(3), 15(2) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI SAST Regulations") along with Regulation 31(A)(5) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, pursuant to the public announcement dated May 30, 2025 ("PA" or "Public Announcement") filed with BSE Limited ("BSE") herein after referred to as the "Stock Exchange", Securities and Exchange Board of India ("SEBI") & sent to the registered office of the TC in compliance with Regulations 14(1) & 14(2) of the SEBI SAST Regulations 2011.

For the purpose of this DPS, the following terms shall have the meaning assigned to them below :

"Acquirer" means M/s. Invade Agro Limited (represented by its Managing Director – Mrs. Meenal Shrirang Patwardhan)

"Equity Shares" or **"Shares"** means the fully paid-up Equity Shares of the Target Company of the face value of **₹ 10/-** (Rupees Ten Only) each.

"Identified Date" means the date falling on the 10th (tenth) working day prior to the commencement of the tendering period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom Letter of Offer shall be sent.

"Offer Period" has the same meaning as ascribed to it in the SEBI SAST Regulations.

"Tendering Period" means the period of 10 (ten) Working Days during which the Public Shareholders may tender their Equity Shares in acceptance of the Offer, which shall be disclosed in the Letter of Offer;

"Public Shareholders" means all the equity shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Open Offer in compliance with the SEBI SAST Regulations, other than: (i) the Acquirer, (ii) Sellers, (iii) persons acting in concert with the Acquirer, (iv) the parties to any underlying agreement including the current Promoter of the Target Company and persons deemed to be acting in concert with such parties.

"Sellers" means Mr. Bharat Jhamnani, Mr. Parasram Jhamnani, Mr. Vinod Jhamnani,

"Share Purchase Agreement" or **"SPA"** means the share purchase agreement dated Friday, May 30, 2025, executed between the acquirer and sellers, pursuant to which the Acquirer have agreed to acquire 12,03,839 (Twelve Lakhs Three Thousand Eight Hundred and Thirty Nine Only) Equity Shares of the Target Company constituting 16.08% of the total voting share capital of the target company at the price of ₹ 5.50 (Indian Rupees Five and Paisa Fifty Only) per Equity Shares Aggregating to ₹ 66,21,115 (Indian Rupees Sixty Six Lakhs Twenty One Thousand One Hundred Fifteen Only) from the Sellers.

"Working Day" means any working day of the SEBI.

Terms used but not defined herein shall have the same meaning as ascribed to them in the PA.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

(A) DETAILS OF ACQUIRER

i. M/s. Invade Agro Limited ("Acquirer")

- ***Name (Current name along with name changes in the past) :*** The Company was originally incorporated on May 27, 2022, as a LLP in the name of "Invade Agro LLP" under the provisions of Limited Liability Partnership Act, 2008. Later on Company was converted from LLP to Unlisted Public Limited Company and consequently, the name of Company was changed to "M/s. Invade Agro Limited' and a Fresh Certificate of Incorporation consequent to Conversion was issued on March 16, 2024, by the Registrar of Companies, Central Registration Centre.
- ***Nature of Company :*** M/s. Invade Agro Limited having CIN: U47214MH2024PLC421550 is a unlisted public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 situated at A-1110, Plot No. D-1, Centrum Business Square, Wagle Industrial Estate, Thane, Wagle I. E., Maharashtra-400 604, India, having permanent account number AAHCI5873P, and represented by its Manging Director – Mrs. Meenal Shrirang Patwardhan, residing at Azad Nagar, D-2, 503/504, Brahmand CHS, Ghodbunder Road, Thane-400 610, Maharashtra, India.
- ***Nature of business :*** The Company engages in the business of trading, import, export, marketing, supplying, retailers, whole-sellers and dealing, online, offline marketing, suppliers, distributors of agro products, chillies, pepper, cloves, turmeric, vegetables, herbs and other food items, cereal products, beverages, tea, coffee, cocoa, seeds, fruits, vegetable, milk products, poultry, animal husbandry and products thereof, dairy, and dairy products, vegetable and edible oils, provisions of all kinds, pickles, chutney, masalas, mixtures, vinegars, ketchups, juices, squashes, jams, jellies, custard powder, powder (edible) drinks, beverages, gelatines, essences, ice creams, milk, preparations, table delicacies and other eatables, table delicacies, fast food, frozen foods and other eatables, bakery products and confectionery items such as breads, biscuits, sweets, roti, pizza, papal, cakes, pastries, cookies, wafers, candoles, lemon drops, chocolate, chewing gum, to fees, lozenges, tinned, caned bottled products, milk cream, butter, butter scotch, sauce, ghee, cheese, condensed milk, milk powder, skimmed milk food, baby food, infant foods, milk products and milk preparation, soya milk products and preparation, soyabean based foods, protein foods, dietic products, health foods, cereal products, wheat lakes, poultry products, farm products, milk shakes, water ice products, yoghurt, mouth freshner, carbondioxide for beverages.
- ***Address :*** A-1110, Plot No. D-1, Centrum Business Square, Wagle Industrial Estate, Thane, Wagle I. E., Maharashtra-400 604, India.
- ***Name of Group to which the Acquirer belongs :*** The Acquire does not belong to any group.
- The Acquirer will form part of the Promoter Group of the Target Company, post the Open Offer.
- ***Name of shareholders of the Company:***
  The Shareholders of the Company as on May 30, 2025 are as follows:

Sl. No.	Particulars	Shareholding as on 30-05-2025	
		Number of Equity Shares	Percentage Shareholding
(A) Promoters			
1.	Invade Grow Limited	80,14,034	19.44
2.	Meenal Shrirang Patwardhan	6,14,555	1.49
Total Promoters		**86,28,589**	**20.93**
(B) Public Shareholders		3,25,80,955	79.07
Total Shareholders (A+B)		**4,12,09,544**	**100**

- ***The Board of Directors of Acquirer comprises the following members:***

Sl. No.	Name and Designation	DIN	Date of Appointment
1.	Meenal Shrirang Patwardhan (Managing Director)	09000788	16/03/2024
2.	Amey Sanjay Nimkar (Director)	10597462	20/04/2024
3.	Kumar Mahadeorao Masram(Director)	10671243	18/06/2024
4.	Trevor Valentine Dsouza(Director)	07047196	18/02/2025

- The key financial information of the Acquirer based on the audited financial statements a for the financial year ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are as follows: (in ₹ except EPS)

Particulars	Audited Financial Statements for the Financial Year Ended March 31	
	2024	2023*
Total Revenue from operations	-	1,50,000
Profit After Tax (PAT) & exceptional items	19,37,413	(24,73,998)
Earnings Per Share (₹)	0.39	-
Net worth / Shareholder's Fund	24,37,410	-

**** The financial figures for 2023 reflect the performance of the LLP.***

- ***If the Acquirer is a listed entity, Stock Exchanges where its shares are listed*** : Not applicable.
- ***Disclosures of relationship / interest, if any, of the Acquirer in the Target Company :*** As on the date of this DPS, the Acquirer does not have any relationship / interest in the Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to SPA. Further, the Acquirer does not hold any Equity Shares of the Target Company and does not belong to any group of the Target Company, however, it has agreed to buy 12,03,839 (Twelve Lakhs Three Thousand Eight Hundred and Thirty Nine Only) Equity Shares of the Target Company by way of the SPA. Consequent to the acquisition, the Acquirer will form part of the Promoter Group of the Target Company.
- The Net Worth as of March 31, 2025, stands at ₹ 30.96 Crores as certified by Mr. Manish R Bohra (Membership No. 058431), Partner of M/s. M R B & Associates, Chartered Accountants having office at A-102, 1st Floor, Shraddha Heights Telly Gully Cross Road Andheri (E), Mumbai-400069, Maharashtra, India, Phone: (M) 9987030175, Mail : manish.b@mrbassociates.com. This certificate dated May 30, 2025, also confirms that the Acquirer has sufficient resources to meet the full obligations of the Offer.
- The "Acquirer" confirm that :
  - ➢ It has not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, 1992 as amended ("SEBI Act") or under any other regulation made under the SEBI Act.
  - ➢ It has not been categorized as a "willful defaulter" in terms of Regulation 2(1)(ze) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
  - ➢ It has not been declared as a "fugitive economic offender" under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.
  - ➢ The Acquirer undertake that it will not sell the equity shares of the Target Company, if any acquired during the Offer period in terms of regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
  - ➢ There are no pending litigations pertaining to the securities market where they are made party to, as on the date of this DPS
  - ➢ The representative of Acquirer is not in the Board of Director of the Target Company.

(B) DETAILS OF SELLERS:

The details of the Sellers as per the SPA are set out below:

Sl. No.	Name of Sellers	Changes in the name in the past	Nature of Entity / Individual	Part of Promoter Group (Yes / No)	Name of the stock Exchange in India or abroad where listed (if applicable)	Details of shares held by the Sellers			
						Pre-Transaction		Post Transaction	
						Number of Equity Shares	% of fully diluted Equity Share Capital of the Target Company	Number of Equity Shares	% of fully diluted Equity Share Capital of the Target Company
01.	Mr. Bharat Jhamnani residing at 627, Shashtri Nagar, Dadabari Kota- 324009, Rajasthan, India	Yes (Bharat)	Individual	Yes	Not Applicable	3,29,500 Equity Shares	4.40%	Nil	Nil
02.	Mr. Parasram Jhamnani residing at 627, Main road, Shashtri nagar, Dadabari Kota- 324009, Rajasthan.	No change in name	Individual	Yes	Not Applicable	5,63,639 Equity Shares	7.53%	Nil	Nil
03.	Mr. Vinod Jhamnani residing at 627, Shashtri Nagar, Dadabari Kota- 324009, Rajasthan	No change in name	Individual	Yes	Not Applicable	3,10,700* Equity Shares	4.15%	Nil	Nil

****Mr. Vinod Jhammani is the beneficial owner of 10,700 equity shares currently held in the name of Ms. Jyoti Jhamnani. These shares are in the process of transmission to Mr. Vinod Jhammani. Upon completion of the transmission process, Mr. Vinod Jhammani will become the registered owner of the said shares.***

Following the transmission, Mr. Vinod Jhammani intends to sell these 10,700 equities shares along with the shares already held in his own name.

- **Name of the group to which sellers belongs to :** *The Sellers form part of the promoter group of the Target Company.*
- In terms of the SPA, the Sellers has agreed to sell 12,03,839 (Twelve Lakhs Three Thousand Eight Hundred and Thirty Nine Only) representing 16.08% of Share Capital of the Target Company to the Acquirer. Post completion of the Open Offer, the Sellers ceases to be a shareholder and Promoters of the Target Company.
- The Sellers has not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

(C) DETAILS OF TARGET COMPANY-CHAMBAL BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED ("CBDL")

- The Target Company was originally incorporated on March 28, 1985, as a Public Limited Company in the name and style of "Pallicid Trades & Finance Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Maharashtra. Subsequently, the name of the Target Company was changed from "Pallicid Trades & Finance Limited" to "Chambal Breweries and Distilleries Limited" and a fresh Certificate of Incorporation was issued on March 11, 1994, by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number of the Target Company is L99999RJ1985PLC046460.
- The registered office of the Target Company is presently situated at House No. 30, 2nd Floor, DAV School Kei Pass, Talwandi, Kota, Rajasthan-324 005, India, Contact Number: +91 7443500607; Email Address: chambalbreweries@gmail.com; Website : www.chambalkota.in
- The Target Company is engaged in the business of -
  1. Exporters, Importers, retailers, merchants, buyers, sellers, brokers, buying agents, selling agents, packers, re-packers, commission agents, factors, distributors, stockists, agents, traders and suppliers of and dealers of all classes and kinds of all or any chemicals (organic and / or inorganic, fire or heavy, their mixtures and formulation) its intermediaties, pesticides and insecticides of all kinds including its formulations, jute, jute goods, jute cuttings, jute rejections, cotton, yarn wool, silk, handicraft, flax, hemp; rayon nylon and other fibrous materials and manmade fibres, textile fabrics, ready-made garments, food grains, foot products vegetable products, iron, steel, cement, paper, paper board, news print, stray board, hard board, tea, coffee, **manures, fertilizers, electrical goods, sugar, sugarcane, malasses, plant and machinery, vehicles and other automobile** pare parts, tractor and other agricultural implements, tyres, tubes, tyre cord sheets, rubber and rubber products plastic and plastic products, leather products, foot wear, hides, skins, metals and minerals and all other goods made thereof therefrom electricals, chemicals photographical, surgical and scientific equipments, instruments good and materials, cardials, drugs tanings, essence and pharmaceuticals, mineral and other water paints, pigments and varnishes. Compounds dye stuff, organic mineral intermediates, paint and colour grinders, oxygen, hydrogen, nitrogen, carbonic acid, acetylene dissolved or otherwise / and any other gases or any compounds or by products thereof engines, electropes, transformers, gas cylinders containers, compressors, welding machine and other apparatuses and machinery to be used for or in connection with the consumption gases directly or indirectly propertory articles of all kinds and for which generally to carry on business of merchants, traders, dealers, export house of any goods commodities and merchandise of any other description whatsoever as are incidental or conducive to the carrying on of all such business in India or abroad.
  2. To carry on the business of financing in all its branches and in any moveable and immovable goods and property of any description and to carry on business as Mortgage Brokers, Financial Agents and to do all sorts of financing and guaranteeing business.
- As on date of this DPS, the authorized share capital of the Company is ₹ 10,00,00,000 (India Rupees Ten Crores only) divided into 1,00,00,000 (One Crores only) Equity Shares having face value of ₹ 10/- (Indian Rupees Ten only), and the total issued and paid-up share capital of the Company is ₹ 7,48,87,580 (Indian Rupees Seven Crore Forty Eight Lakhs Eighty Seven Thousand Five Hundred and Eighty only) divided into of 74,88,758 (Seventy Four Lakhs Eighty Eight Thousand Seven Hundred Fifty Eight only) Equity Shares of ₹ 10/- (Indian Rupees Ten only).
- Target Company has established its connectivity with both the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited under the ISIN INE417N01011.
- The entire issued, subscribed, paid up and voting equity capital of the Target Company is listed at BSE under Scrip Code of 512301 on BSE with effect from January 31, 1986.
- The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE (within the meaning of definition of "frequently traded shares" under Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations).
- As of the date of this DPS, (i) there are no partly paid up Equity Shares; or (ii) it has not issued any convertible securities; (iii) it has not issued any warrants; (iv) there are no locked-in Equity Shares of the Target Company; and (v) there are no shares against which depository receipts have been issued.
- The present Board of Directors and KMP of Target Company are as follows:

Sr.	Name of Director	DIN/PAN	Designation	Sr.	Name of Director	DIN/PAN	Designation
01.	Mr. Parasram Jhamnani	01266196	Managing Director	04	Ms. Rinku Goyal	10454843	Non-Executive Independent Director
02.	Ms. Amrita Modi	07761166	Non-executive Director	05.	Mr. Vinod Jhamnani	AFHPJ6345G	Chief Financial Officer
03.	Mr. Anmol Jindal	07618593	Non-Executive Independent Director	06	Mr. Lalit Modi	CBPPM2302D	Company Secretary

Continue on Next Page....

...Continue from previous Page...

- The key financial information of the Target Company based on the audited financial statements which has been audited by the Target Company's erstwhile Statutory Auditors, M/s. VAG & Company, Chartered Accountants, Kota for the financial year ended March 31, 2022, March 31, 2023 and 2024, and by the Statutory Auditor Lokesh Maheshwari & Associates, Chartered Accountants the latest audited financial results for the financial year ended March 31, 2025 are as follows: (in ₹ except EPS)

Particulars	Audited Financial Results for the Financial year ended March 31, 2025*	Audited Financial Statements for the Financial Year Ended March 31		
		2024	2023	2022
Total Revenue from operations	-	-	-	-
Profit After Tax (PAT) & exceptional items	(8,32,000)	(2,46,74,726)	(3,73,4,058)	(5,51,903)
Earnings Per Share (₹)	(0.11)	(3.29)	(0.50)	(0.07)
Net worth / Shareholder's Fund	1,12,03,000	1,20,35,035	3,67,097,61	4,04,43,819.74

1) Key Financial information for the financial year ended March 31, 2025, has been extracted from the Company's audited financial results as submitted to the Stock Exchanges.
2) Extracted from the annual report for the financial year ended March 31, 2024.
3) Extracted from the annual report for the financial year ended March 31, 2023.
4) Extracted from the annual report for the financial year ended March 31, 2022.

(D) DETAILS OF THE OFFER

- This Open Offer is a mandatory offer in compliance with Regulations 4 of SEBI SAST Regulations and Regulation 31(A)(5) SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and of other applicable provisions pursuant to the execution of the Share Purchase Agreement for substantial acquisition of shares / voting rights of the Target Company.
- The Acquirer has made this Open Offer to the Public Shareholders to acquire up to 19,47,077 (Nineteen Lakhs Forty Seven Thousand Seventy Seven only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each (Indian Rupees Ten) constituting 26.00% of the Equity and Voting Share Capital of the Target Company **("Offer Size")** at a price of **₹ 6.00** (Indian Rupees Six Only) per Equity Share ("Offer Price") aggregating to **₹ 1,16,82,462/-** (Indian Rupees One Crore Sixteen Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Sixty Two Only) (assuming full acceptance) **("Maximum Consideration"),** payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of SEBI SAST Regulations, subject to terms and conditions set out in the Public Announcement ("PA"), and to be set out in this Detailed Public Statement ("DPS") and the Letter of Offer **("LoF / Letter of Offer")** that are proposed to be issued for the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- To the best of knowledge and belief of the Acquirer, as on the date of this DPS, there are no other statutory approvals required for this Open Offer. However, if any other statutory approvals are required prior to completion of this Open Offer, this Open Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable later.
- This Offer is not a conditional Offer and not subject to any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations and is not a competitive bid in terms of Regulation 20 of the SEBI SAST Regulations. Also, there is no differential pricing in this Offer as all the Equity Shares of the Target Company are fully paid-up.
- This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of Equity Shares of the Target Company.
- The Manager to the Offer, Gretex Corporate Services Limited does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of the PA and this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of their appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the closure of the Tendering Period.
- In terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, in the event, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, the approvals specified in this DPS as set out in Part VI (Statutory and Other Approvals) below or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, then the Acquirer shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer (through the Manager) shall, within 2 Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI SAST Regulations.
- The Acquirer have neither acquired nor been allotted any Equity Shares during the 52 weeks period prior to the date of PA. The Acquirer does not intend to delist the Target Company pursuant to this Open Offer.
- The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto and as mentioned in the articles of association of the Company, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof, and the Public Shareholders tendering their Equity Shares in this Open Offer shall have obtained all necessary consents required by them to sell the Equity Shares on the foregoing basis.

(E) As on the date of the DPS, the Acquirer does not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business of the Target Company. Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, for two years from the completion of Open Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through special resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25(2) of the SEBI SAST Regulations.

(F) As per Regulation 38 of SEBI LODR Regulations, read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 **("SCRR"),** the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding (i.e. shares of the Target Company held by the public as determined in accordance with the SCRR), on a continuous basis for listing. Pursuant to the SPA and Open Offer (assuming full acceptance), the public shareholding in the Target Company will fall below 25% of Equity and Voting Share Capital, the Acquirer will ensure compliance with the minimum public shareholding requirements under Regulation 7(4) of SEBI SAST Regulations read with Rule 19A of SCRR in such manner and timelines prescribed under applicable law.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

(A) This Offer being made by the Acquirer, in compliance with Regulations 4 read with SEBI (SAST) Regulations, 2011 and Regulation 31(A)(5) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, to the Public Shareholders of the Target Company, to acquire upto 19,47,077 (Nineteen Lakhs Forty Seven Thousand Seventy Seven only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each (Indian Rupees Ten) ("Offer shares") , representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the Equity and Voting Share Capital from the Public Shareholders of the Target Company ("Offer size") at an offer price of Rs. 6.00 (Rupees Six only) per Equity shares ("Offer Price") subject to the terms and conditions mentioned in the PA, this DPS and to be set out in the Letter of Offer ("LoF") to be issued for the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(B) Further, pursuant to the Share Purchase Agreement dated May 30, 2025 ("SPA") entered between Acquirer and Sellers, to acquire 12,03,839 (Twelve Lakhs Three Thousand Eight Hundred and Thirty Nine Only) Equity Shares of the Target Company constituting 16.08% of the total voting share capital of the target company at the price of ₹ 5.50 (Indian Rupees Five and Paisa Fifty Only) per Equity Shares Aggregating to ₹ 66,21,115/- (Indian Rupees Sixty Six Lakhs Twenty One Thousand One Hundred Fifteen Only) ("Sale Consideration"), from the Sellers, subject to and in accordance with the terms and conditions contained in the SPA.

(C) The acquisition of Sale Shares will be undertaken through an off-market transfer.

(D) The SPA may be terminated by : (a) mutual agreement between the Acquirer and the Sellers, recorded in writing; (b) the Sellers, if any of the Conditions Precedent (as defined under the SPA) for which the Acquirer is responsible, is not fulfilled within the timelines set out under the SPA; (c) by the Acquirer, upon issue of any order or direction or ruling or circular or notification or similar document by any Governmental Authority (as defined under the SPA) restricting in any manner the completion of the Transaction (as defined under the SPA) or the Offer; (d) by the Acquirer, if any of the Conditions Precedent (as defined under the SPA) for which the Sellers is responsible, is not fulfilled on or prior to the expiry of the Offer Period; or (e) by the Acquirer, in the case of non-compliance by the Sellers, or the Sellers, in the case of non-compliance by the Acquirer, of their respective closing obligations as set out in Schedule 4 of the SPA.

(E) The offer price is payable in cash by the Acquirer in accordance with the provision of Regulation 9(1)(a) of SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and condition set out in this DPS and the Letter of Offer that it will be dispatched to the public shareholder in accordance with the provision of SEBI (SAST) Regulation, 2011.

(F) As per Regulations 26(6) and 26(7) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Board of the Target Company is required to constitute a committee of Independent Directors, to provide its written reasoned recommendation on the Offer to the Shareholders of the Target Company and such recommendations shall be published at least two working days before the commencement of the Tendering Period in the same newspaper where the DPS of the Offer is published. A copy of the above shall be sent to SEBI, BSE and Manager to the Offer and in case of a competing offer/s to the Manager/s to the Open Offer for every competing Offer.

(G) The primary objective of the Acquirer for the above-mentioned acquisition is to take control of the Target Company and be classified as Promoter in accordance with the provisions of Regulation 31A of the SEBI LODR Regulations.

(H) As on the date of the DPS, the Acquirer intends to continue the existing line of business of the Target Company by doing reverse merger with the target company in future and does not have any plans to make major changes to the existing line of business of the Target Company except in the ordinary course of business or may also diversify into other businesses with prior consent of the shareholders and in accordance with the provisions of Companies Act, 2013, memorandum and articles of association of the Target Company and other applicable laws.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding of the Acquirer in Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Particulars	Acquirer		Total	
	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
Shareholding before PA i.e. May 30, 2025	Nil	Nil	Nil	Nil
Shareholding proposed to be acquired through SPA dated May 30, 2025	12,03,839	16.08	12,03,839	16.08
Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil
Shares to be acquired in the open offer (assuming full acceptance)*	19,47,077	26.00	19,47,077	26.00
Post Offer Shareholding (assuming full acceptance, as on 10th working day after closing of tendering period)	**31,50,916**	**42.08**	**31,50,916**	**42.08**

**Assuming all the Offer Shares are accepted in the Open Offer. The Acquirer reserves the right to alter the quantity or ratio of acquisition of equity shares amongst themselves based on actual shares tendered in the Open Offer.*

IV. OFFER PRICE

(A) The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE, under scrip code "512301". The ISIN of Equity Shares of Target Company is INE417N01011.

(B) The annualized trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the 12 (twelve) calendar months prior to the month of Public Announcement (May 2024 to April 2025) is as given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of Equity Shares traded during the 12 (Twelve) calendar months prior to the month of PA	Total Number of Listed Shares	Annualized Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Shares)
BSE	13,19,507	74,88,758	17.62

(Source: www.bseindia.com)

(C) Based on the information available on the website of BSE, the Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE (within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations).

(D) The Offer Price has been determined considering the parameters in terms of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations, being the highest of:

(a)	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer i.e., the price per Sale Share under the SPA.	₹ 5.50
(b)	The volume-weighted average price paid or payable per Equity Share for acquisitions, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with him, during the 52 (fifty-two) weeks immediately preceding the date of the PA.	Not applicable*
(c)	The highest price paid or payable per Equity Share for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person acting in concert with him, during the 26 (twenty-six) weeks immediately preceding the date of the PA.	Not applicable*
(d)	The volume-weighted average market price of such shares for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the date of the PA, as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded.	₹ 5.20
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirer and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Not applicable*
(f)	The per Equity Share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI SAST Regulations, if applicable.	Not applicable*

** Notes: (1) Not applicable as no acquisitions were made by the Acquirer, during the 52 (fifty-two) weeks or 26 (twenty-six) weeks immediately preceding the date of the PA. (2) Not applicable as the Equity Shares are frequently traded. (3) Not applicable since the acquisition is not an indirect acquisition. In view of the parameters considered and presented in table above, in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of 6.00/- (Rupees Six only) per fully paid-up Equity Share is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations.*

(E) There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI SAST Regulations.

(F) As on date, there is no revision in Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirer shall, in accordance with Regulation 18(5) of SEBI SAST Regulations, (i) make corresponding increases to the escrow amounts; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, Stock Exchange and the Target Company at its registered office of such revision. The revised Offer Price would be paid to all the Public Shareholders whose Equity Shares are accepted under the Open Offer.

(G) If there is any revision in the offer price on account of future purchases / competing offers, it will be done up to the period prior to 3 (three) Working Days before the date of commencement of the Tendering Period would be notified to the shareholders.

(H) If the Acquirer acquires Equity Shares during the period of twenty-six weeks after the closure of Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Open Offer within sixty days from the date of such acquisition, pursuant to Regulation 8(10) of SEBI SAST Regulations. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI SAST Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 or open market purchases made in the ordinary course on the Stock Exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

(A) The total funding requirement for the Open Offer (assuming full acceptances) i. e. for the acquisition of upto 19,47,077 (Nineteen Lakhs Forty Seven Thousand Seventy Seven only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each (Indian Rupees Ten Only) from the Public Shareholders at Offer Price of ₹ 6.00 (Rupees Six only) per Equity Share aggregates to ₹ 1,16,82,462/- (Indian Rupees One Crore Sixteen Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Sixty Two Only) (the **"Offer Consideration"**).

(B) The Acquirer has adequate financial resources to meet its obligations under the SEBI SAST Regulations for the purposes of the Open Offer.

(C) In terms of Regulation 17(1) of the SEBI SAST Regulations, the Acquirer and Manager to the Offer have entered into as escrow agreement dated May 30, 2025 with Axis Bank Limited **("Escrow Agreement")** and had opened an escrow account under the name of **"M/s. Invade Agro Limited Open Offer Escrow Account" ("Escrow Account").**

(D) The Manager to the Offer has been duly authorized by the Acquirer to operate and realize the value of Escrow Account in terms of the SEBI SAST Regulations.

(E) Mr. Manish R. Bohra (Membership No. 058431, Partner of M/s. M R B & Associates, Chartered Accountants having office at A-102,1st Floor Shraddha Heights Telly Gully Cross Road Andheri (E), Mumbai-400 069, Maharashtra, India, (M) 9987030175, Mail : manish.b@mrbassociates.com vide Certificate dated May 30, 2025 certified that the Acquirer has sufficient resources to meet the fund requirements as required under the Open Offer in accordance with the SEBI SAST Regulations.

(F) Based on the above and in the light of the Escrow Agreement, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfill the Acquirer's obligations through verifiable means in relation to the Open Offer in accordance with the SEBI SAST Regulations.

(G) In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, corresponding increase to the Escrow Amount as mentioned above shall be made by the Acquirer in terms of Regulation 17(2) of the SEBI SAST Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

(A) As on the date of this DPS, no approval will be required from any bank / financial institution for the purpose of this Open Offer, to the best of the knowledge of the Acquirer, other than as may be required by the Sellers under the SPA.

(B) As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no other statutory or governmental approvals required for the consummation of the SPA and the Open Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable, the Open Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals also. The Acquirer will not proceed with the Open Offer in the event such statutory approvals are refused, in terms of Regulation 23(1) of the SEBI SAST Regulations. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE and the registered office of the Target Company, in accordance with Regulation 23(2) of SEBI SAST Regulations.

(C) Public Shareholders of the Target Company who are either non-resident Indians **("NRIs")** or overseas corporate bodies **("OCBs")** and wish to tender their Equity Shares in this Open Offer shall be required to submit all the applicable approvals of the Reserve Bank of India **("RBI")** which have been obtained at the time of acquisition of Equity Shares of the Target Company, if any. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirer reserves the sole right to reject the Equity Shares tendered by such Public Shareholders in the Open Offer. This Open Offer is subject to receipt of the requisite RBI approvals, if any, for acquisition of Equity Shares by the Acquirer from NRIs and OCBs.

(D) In case of delay in receipt of any statutory approvals as disclosed above or which may be required by the Acquirer at a later date, as per Regulation 18(11) of the SEBI SAST Regulations, SEBI may, if satisfied, that non-receipt of approvals was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approvals, grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the Public Shareholders for the delay. Provided where the statutory approvals extend to some but not all holders of the Equity Shares, the Acquirer have the option to make payment to such holders of the Equity Shares in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Open Offer.

(E) There are no conditions stipulated in the SPA between the Acquirer and the Sellers, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirer and in view of which the Offer might be withdrawn under Regulation 23(1)(c) of the SEBI SAST Regulations.

(F) The Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Open Offer within 10 (ten) Working Days from the date of closure of the Tendering Period of the Open Offer to those Public Shareholders whose Equity Shares are accepted in the Open Offer, pursuant to Regulation 18(10) of SEBI SAST Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER

Major Activities	Schedule
Public Announcement	Friday, 30 May, 2025
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	Friday, 06 June, 2025
Last Date of Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, 13 June, 2025
Last Date for public announcement of a competing offer	Friday, 27 June, 2025

Continue on Next Page....

पर्यावरण संरक्षण, जल सरंक्षण और स्वच्छता अभियानों में आमजन की हो सहभागिता:- मदन राठौड़

मानसून वृक्षारोपण का उचित समय, एक पेड़ लगाकर ना करें इतिश्री, अधिक से अधिक संख्या में लगाए पेड़ : मदन राठौड़

जयपुर,। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय परिसर में अशोक के वृक्ष लगाकर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आव्हान किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संचालित वर्षा जल संरक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की।

राठौड़ ने कहा कि मानसून के आगमन के साथ ही पेड़ लगाने का सर्वाधिक उपयुक्त समय आ गया है। उन्होंने कहा, एक पेड़ लगाकर इतिश्री न करें, बल्कि व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करें। ऐसे स्थानों का चयन करें जहां पेड़ों की कटाई की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि मानसून के दौरान पौधारोपण में अपेक्षाकृत कम श्रम और समय लगता है, जिससे अधिक पौधों का रोपण संभव है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आमजन से आव्हान किया कि वे ऐसे पौधे लगाएं जो न केवल पर्यावरण को लाभ दें बल्कि मानसून को भी आकर्षित करें। राठौड़ ने यह भी बताया कि कुछ स्थानों पर ऐसे पेड़ लगे हैं जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अत: ऐसे पेड़ों के उन्मूलन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय परिसर में अशोक के वृक्ष लगाकर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

- विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का वृक्षारोपण व जल संरक्षण का किया आव्हान
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आमजन से आव्हान किया कि वे ऐसे पौधे लगाएं जो न केवल पर्यावरण को लाभ दें बल्कि मानसून को भी आकर्षित कर

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि, मानसून काल में वर्षा जल को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। टांकों, बावडी, तालाबों और खेतों में जल पहुंचाने वाले मार्गों को स्वच्छ रखें और उनमें किसी भी प्रकार का अवरोध न आने दें।

उन्होंने वर्षा जल तालाब तक जाने वाले मार्ग में अतिक्रमण न करने और वर्षा जल को अधिकतम संरक्षित करने की अपील की। स्वयं राठौड़ ने आमेर रोड जलमहल के सामने पुराने काले हनुमान मंदिर परिसर में स्थित बावडी की साफ-सफाई कर जल स्त्रोतों के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, भाजपा नेता रवि नैय्यर, जिलाध्यक्ष अमित गोयल, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि भाजपा द्वारा गंगा एवं यमुना जैसी नदियों की स्वच्छता के लिए कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे नदी, तालाब में शव अथवा अन्य अपशिष्ट पदार्थ न डालें और जल स्त्रोतों की पवित्रता बनाए रखें। राठौड़ ने कहा कि भाजपा न केवल राजनीतिक संगठन है, बल्कि सामाजिक व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को भी पूर्ण निष्ठा से निभा रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण, जल सरंक्षण और स्वच्छता अभियानों से जुडने का आग्रह किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी, नागौर जिला प्रभारी अशोक सैनी, उद्यान समिति अध्यक्ष नगर निगम हेरिटेज पूनम शर्मा, भाजपा प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी रजनीश चनाना सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आईपीएल फाइनल मैच पर लगा करोड़ों का सट्टा

- फ्लैट से चल रही थी खाईवाली, दबिश देकर पुलिस ने पकड़ा

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (सीएसटी)और एसओजी ने आईपीएल फाइनल मैच पर सट्टे लगाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामनगरिया थाना इलाके में स्थित अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर सटोरिए को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करोड़ों के हिसाब सहित सट्टा उपकरण जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुंदन कंवरिया ने बताया कि सीएसटी और एसओजी ने आईपीएल फाइनल मैच पर सट्टे लगाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामनगरिया थाना इलाके में की है। जहां आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच था। जयपुर क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम को इलाके में स्थित अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर-101 में क्रिकेट सट्टे की खाईवाली की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम ने फ्लैट पर दबिश दी। फ्लैट में क्रिकेट मैच की खाईवाली करते मिले सटोरिए मनीष मूलचंदानी (36) निवासी सेक्टर-23 प्रताप नगर हाल रामनगरिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करोड़ों रुपए का सट्टा हिसाब-किताब, 2 मोबाइल, 1 टेबलेट, 1 एलईडी मय सेटअप बॉक्स, 1 मोबाइल चार्जर बरामद किया। पूछताछ में आरोपी से सामने आया कि वह आईपीएल मैच पर हार-जीत पर सट्टे की खाईवाली का काम करता है। पहले भी कई क्रिकेट मैच पर सट्टा लगावा चुका है। सट्टा खिलाने के लिए भावेश बचयानी से आईडी ले रखी है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार सटोरिए मनीष मूलचंदानी से पूछताछ कर रही है।

महिला बस परिचालक का बैग चोरी

जयपुर। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में किसी ने एक महिला बस परिचालक का बैग चोरी कर लिया। बैग में टिफिन, 27 हजार 335 रुपए और ड्यूटी सम्बंधी दस्तावेज रखे थे। पुलिस के अनुसार चांदपुर कठूमर अलवर निवासी सीमा चौधरी ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी ड्यूटी जेसीटीएसएल की बस में रूट नम्बर तीन थी। 3 जून की सुबह उसने अपना बैग बस की कंडक्टर सीट पर बांध दिया और वह टिकट काटने लगी। टिकट काटने के बाद जब वापस वह सीट पर लौटी तो उसका बैग गायब था। इस पर पीडिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी का अजमेर दौरा

जयपुर,। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने अजमेर में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र , राजस्थान राज्य बीज निगम, ग्राहय परीक्षण केन्द्र , लैब, राजहंस नर्सरी तथा केन्द्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में निरीक्षण किया और अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित गतिविधियों का अवलोकन कर कहा कि प्रशिक्षणों में किसानो की डुप्लीकेशन का केवीके, आत्मा एवं कृषि विभाग में चयन के दौरान ध्यान रखा जाए एवं साथ ही किसानों को वेदर एडवाइजरी संदेश, वाट्सअप ग्रुप पर देने के निर्देश दिये।

सेन्टर पर लिये गये परीक्षणों के आब्जर्वेशन एवं निष्कर्षों का अवलोकन करने के उपरांत गेहूं, तथा दलहनी फसलों की क्लाईमेट रेजिलेन्ट किस्मे विकसित करने के लिये निदेशक, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र को निर्देशित किया। राजस्थान राज्य बीज निगम ईकाई का निरीक्षण कर परिसर में निर्माणाधीन कार्यालय भवन का निर्माण 30 जून 2025 तक पूर्ण कराने के संबंध में उपस्थित सहायक अभियंता , कृषि विपणन बोर्ड को निर्देशित किया।

...Continue from previous Page...

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER

Major Activities	Schedule
Receipt of comments from SEBI on Draft Letter of Offer	Friday, 4 July, 2025
Identified Date*	Tuesday, 8 July, 2025
Date by which Letter of Offer will be dispatched to the Public Shareholders	Tuesday, 15 July, 2025
Last day of revision of Offer Price / Offer Size	Monday, 21 July, 2025
Last date by which a Committee of Independent Directors constituted by the Board of Directors of the Target Company shall give its recommendations and publication of the same	Thursday, 17 July, 2025
Date of issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	Monday, 21 July, 2025
Date of commencement of Tendering Period	Tuesday, 22 July, 2025
Date of closure of Tendering Period	Monday, 4 August, 2025
Issuance of post offer advertisement	Monday, 11 August, 2025
Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the accepted Offer Shares / return of unacquired Offer Shares	Tuesday, 19 August, 2025
Last Date of filing the final report to SEBI	Tuesday, 26 August, 2025

****Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in the Open Offer anytime before the closure of the Open Offer.***

Note: The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI SAST Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI SAST Regulations.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LOF

(A) All the Public Shareholders of the Target Company holding the Equity Shares in dematerialized form or physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date and Offer Closing Date ("Tendering Period") for this Open Offer. In accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 21, 2020, Public shareholder holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per provision of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Accordingly, Public shareholders holding Equity share in physical formats will be eligible to tender their Equity Share in this open offer as per the provision of the SEBI (SAST) Regulation, 2011.

(B) Public Shareholders who wish to offer their physical Equity Shares in the Offer are requested to send their original documents as will be mentioned in the LOF to the Registrar to the Offer so as to reach them no later than the Offer Closing Date. It is advisable to first email scanned copies of the original documents as will be mentioned in the LOF to the Registrar to the Offer and then send physical copies to the address of the Registrar to the Offer as will be provided in the LOF. The process for tendering the Offer Shares by the Public Shareholders holding physical Equity Shares will be separately enumerated in the LOF.

(C) Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

(D) Accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any person to whom the Open Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Open Offer in any way.

(E) The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from the SEBI's website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the registrar to the offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares and their folio number, DP identity-client identity, current address and contact details.

(F) The Open Offer will be implemented by the Acquirer through stock exchange mechanism as provided by BSE in the form of separate window **("Acquisition Window")** as provided under the SEBI SAST Regulations and relevant SEBI circulars issued from time to time in this regard. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified in the **("SEBI Master Circulars").**

(G) BSE Limited is the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.

(H) The Acquirer has appointed Gretex Share Broking Limited ("Buying Broker") as their broker for the Open Offer through whom the purchases and the settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering Period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name of Buying Broker	Address	Contact Person	Contact No.	Email ID	Website
Gretex Share Broking Limited	A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Delisle Road, Dadar (West), Mumbai 400013, Maharashtra, India	Balasaheb Patil	022-69308500	dp@gretexbroking.com	https://gretexbroking.com

(I) All Public Shareholders who desire to tender their shares under the Open Offer would have to intimate their respective stockbroker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during Tendering Period.

(J) A separate acquisition window will be provided by BSE Limited to facilitate placing of sell orders. The Selling Brokers can enter orders for dematerialized Equity Shares as well as physical Equity Shares.

(K) The cumulative quantity tendered shall be displayed on BSE's website (www.bseindia.com) throughout the trading session at specific intervals by BSE during the Tendering Period.

(L) In the event Seller Broker of shareholder is not registered with BSE then that shareholder can approach the Buying Broker as defined above and tender the shares through the Buying Broker after submitting the details as may be required by the Buying Broker to be in compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(M) The marketable lot of Target Company for physical mode and for dematerialized mode is 1 (One).

(N) Upon finalization of the entitlement, only accepted quantity of Equity Shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder.

(O) The Equity Shareholders will have to ensure that they keep a Demat Account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Open Offer.

(P) It must be noted that detailed procedure for tendering the Equity Shares in the Offer will be mentioned in the Letter of Offer.

IX. OTHER INFORMATION

(A) The Acquirer accepts responsibility for the information contained in the PA and in this DPS and also for the obligations of the Acquirer laid down in the SEBI SAST Regulations and subsequent amendments made thereof.

(B) Pursuant to Regulation 12 of the SEBI SAST Regulations, the Acquirer has appointed Gretex Corporate Services Limited, Mumbai as Manager to the Offer and the Manager to the Offer issues this Detailed Public Statement on behalf of the Acquirer.

(C) In this DPS, all references to **"₹" or "Rs." or "Rupees" or "INR" are references to the Indian Rupee(s).**

(D) The information pertaining to the Target Company in this DPS or the Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company which has not been independently verified by the Acquirer or the Manager to the Open Offer. The Acquirer and the Manager to the Open Offer do not accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company.

(E) The Acquirer has appointed Adroit Corporate Services Private Limited as the Registrar to the Offer.
The details of the Registrar are as mentioned below:
Name : Adroit Corporate Services Private Limited
Address : 18-20, Jaferbhoy Industrial Estate, 1st Floor, Makawana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059
Tel. : 022 42270449
Email Id: haraprasadn@adroitcorporate.com
Investor Grievance Email: info@adroitcorproate.com
Website: www.adroitcorporate.com
Contact Person: Mr. Hara Prasad Nahak
SEBI Registration No.: INR000002227
CIN : U67190MH1994PTC079160

(F) In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed are due to rounding off and/or regrouping.

(G) This Detailed Public Statement would also be available at SEBI's website i.e. www.sebi.gov.in

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

GRETEX

GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED
(CIN No.: L74999MH2008PLC288128)
Office No. 13, 1st Floor, Bansilal Mansion, A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Delisle Road, Dadar (West), Mumbai 400013, Maharashtra, India
Tel. No.: 022 69308500; **Email :** info@gretexgroup.com; **Website :** www.gretexcorporate.com;
Contact Person : Mr. Arvind Harlalka

FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER
M/s. Invade Agro Limited
Sd/-
Meenal Shrirang Patwardhan
(Managing Director)
DIN: 09000788
Address : A-1110, Plot No. D-1, Centrum Business Square, Wagle Industrial Estate, Thane, Wagle I. E., Thane, Maharashtra-400604, India

Place : Mumbai
Date : June 06,2025

करोना संक्रमण से 7 और मरीजों की मौत

नयी दिल्ली, 05 जून। देशभर में करोना संक्रमण धीरे-धीरे बढ़ रहा है और कुल सक्रिय मामलों की संख्या गुरुवार सुबह बढ़ कर 4866 तक पहुंच गयी। पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण से सात और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 51 पहुंच गयी है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी

- **देश भर में करोना के एक्टिव केस 4866 हैं और मृतकों की संख्या अब 51 हो गई है।**

आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह आठ बजे तक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 4866 पहुंच गयी। अभी तक 3955 मरीजों को स्वस्थ्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और एक जनवरी से अब तक 51 लोगों की मौत हुई है।

भारत की विदेश नीति को भारी झटका, स.रा. सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को मिले दो पद

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है

- **कांग्रेस का कहना है, पहले पाकिस्तान को विश्व बैंक, आई.एम.एफ. तथा एशियन विकास बैंक से कर्ज़ मंजूर हुआ और अब इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो बड़े पद मिले हैं, यह भारत की विदेश नीति की भारी विफलता है।**
- **कांग्रेस ने इसके लिए वैश्विक समुदाय की भी आलोचना की और कहा, इस तरह से पाक प्रायोजित आतंकवाद को वैधता प्रदान की जा रही है।**
- **पाकिस्तान को यू.एन. सिक्यूरिटी काउन्सिल तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि उसे काउन्टर टैररिज़्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है।**

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युनाइटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउन्सिल, यू.एन.एस.सी) में दो प्रमुख पद मिलने से भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के अपने प्रयासों में बड़ा झटका लगा है। इस बीच रूस ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान हालिया भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपनी भूमिका का ज़िक्र किया था।

पाकिस्तान को यू.एन.एस.सी. की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत की विदेश नीति को लगे इस झटके ने कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे भारत की विदेश नीति के पतन की दुखद कहानी बताया।

एक्स पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान को हाल में आई.एम.एफ. और विश्व बैंक से मिले ऋण और सुरक्षा परिषद में मिले पदों का हवाला देते हुए भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने वैश्विक समुदाय पर भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैधता देने के लिए हमला बोला।

खेड़ा ने एक्स पर लिखा, निस्संदेह, यह हमारी अपनी विदेश नीति के पतन की दुखद कहानी है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैधता कैसे दे सकता है?

9 मई को जब भारत और पाकिस्तान टकराव की स्थिति में थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान को एक अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सात टीमों को पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर करने और यह संदेश देने के लिए कई देशों में भेजा था कि भारत की सैन्य कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी पाकिस्तान को क्रमशः 40 अरब डॉलर और 800 मिलियन डॉलर के ऋण मंजूर किए।

क्रैमलिन के एक सहयोगी के अनुसार, हाल ही में पुतिन और ट्रंप की टेलीफोन पर हुई बातचीत में हालिया भारत-पाक संघर्ष का मुद्दा भी शामिल था। बुधवार को हुई इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए क्रैमलिन सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

रूस की राज्य समाचार एजेंसी टास (टी.ए.एस.एस.) के अनुसार, उशाकोव ने कहा, उन्होंने (ट्रंप-पुतिन) मध्य पूर्व और भारत-पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष पर भी बात की, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भागीदारी से रोका गया।

हालाँकि, उशाकोव ने बातचीत का विस्तृत ब्यौरा साझा नहीं किया।

ट्रंप पहले भी कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से रोका।

तथापि, भारत का हमेशा से यह कहना रहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का समझौता दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डी.जी.एम.ओ.) के बीच प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से हुआ था।

इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने राष्ट्रपति पुतिन से भारत के साथ विवाद को सुलझाने में मदद करने की अपील की है, यह जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार सैयद तारिक फातिमी ने दी।

मंगलवार को मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान फातिमी ने शहबाज़ शरीफ का पत्र पुतिन को सौंपा। उनकी यह यात्रा डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में गए बहुदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की अत्यंत सफल रूस यात्रा के कुछ ही दिन बाद हुई, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाई और भारत की आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को रूस का ठोस समर्थन दिलवाया।

पहली बार सांप्रदायिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली में कोई भी जम्मू इकाई की समस्याओं या उनके पीसीसी अध्यक्ष को लेकर उनकी शिकायतों और आपत्तियों पर ध्यान नहीं दे रहा है।

एआईसीसी के जम्मू-कश्मीर प्रभारी नासिर हुसैन दिखाई ही नहीं देते और कांग्रेस की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ठोस पहल करते प्रतीत नहीं होते। कर्रा को राहुल गांधी ने नियुक्त किया है, लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी बिना पर्याप्त जांच के फैसले लेते हैं और एक बार निर्णय ले लेने के बाद उसे बदलते नहीं हैं। कर्रा पीडीपी से सीधे कांग्रेस में लाए गए हैं और अमरनाथ विवाद के समय उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

महबूबा मुफ्ती द्वारा भाजपा से हाथ मिला लेने के विरोध में उन्होंने पीडीपी छोड़ दी थी, इसके बाद, राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया था। पहले उन्हें कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का सदस्य बनाया गया और फिर वे पीसीसी अध्यक्ष बना दिये गये।

कर्रा न तो कांग्रेस की संस्कृति को समझते हैं और न ही उनके पास कोई व्यापक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दृष्टिकोण है। उनकी सोच पूरी तरह कश्मीर-केन्द्रित और अलगाववादी है, यही मुख्य कारण है, जिससे जम्मू कांग्रेस में असंतोष है।

एक वरिष्ठ नेता ने जोर देते हुये कहते हैं कि कांग्रेस पहले कभी सांप्रदायिक या क्षेत्रीय आधार पर विभाजित नहीं रही है। उनका कहना है कि भाजपा इस सांप्रदायिक रुझान का फायदा उठा रही है और कर्रा की इस सोच से भाजपा को लाभ हुआ भी है। कश्मीर में तो कांग्रेस की जगह अब एनसीपी या पीडीपी ने ले ली है। इस प्रकार कांग्रेस दोनों ओर से फँसी हुई है।

राहुल गांधी ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस में मौजूद "भाजपा स्लीपर सैल्स" को हटाने की बात कही है और पार्टी इकाइयों से वादा किया है कि वे निष्क्रिय पड़ी इकाइयों के पदाधिकारियों को बर्खास्त करेंगे।

जम्मू कांग्रेस इकाई में भी ऐसे ही आरोप हाल ही में सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायसंगत होगा कि राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर के प्रभारी एआईसीसी नेता को निर्देश दें कि वे जाँच करें और राज्य इकाई में मौजूद स्लीपर सैल्स को चिन्हित करें। वस्तुतः राहुल गांधी भाषण तो धमाकेदार देते हैं, लेकिन उन पर अमल करने का तंत्र बेहद कमज़ोर है।

भारत में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के प्रमुख संरचनात्मक खंडों के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा स्थापित करेगी, जिसमें पूरी बॉडी का निर्माण किया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हस्तक्षेप के बाद उठाया गया है, जब उसने परीक्षा को दो सत्रों में आयोजित करने पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने से कठिनाई स्तर में असमानता हो सकती है, जिससे अभ्यर्थियों पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे देश में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा एक ही सत्र में आयोजित की जानी चाहिए। कोर्ट ने एन.बी.ई. को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाएँ करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि यदि बोर्ड को यह व्यवस्था लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, तो वह अदालत से पुनः समय माँग सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशभर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया, जिससे आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आई। इस अभियान से प्रेरणा लेकर पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए।

इस अवसर पर, जमवारामगढ़ के विधायक महेन्द्र पाल मीणा ने गंगा नदी के जल का कलश मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के तहत रामगढ़ बांध पर श्रमदान किया। उन्होंने जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक-पूजा अर्चना भी की। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर लोकगीत गाते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, सांसद राव राजेन्द्र सिंह, डॉ. मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, कुलदीप धनखड़, कैलाश वर्मा, मनीष यादव, अमीन कागजी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी एवं आमजन उपस्थित थे।

राज ठाकरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का फोन नंबर है।' गौरतलब है कि फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्ययूब चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में राज ठाकरे के एक बयान के बाद चचेरे भाइयों के एक साथ आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों का हित दोनों नेताओं के बीच मतभेदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

भगदड़ पर सिद्धारमैया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस माइकल डीकुन्हा की अध्यक्षता में हमने एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है...आरसीबी इवेंट मैनेजर, डीएनए, केएससीए, जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया, हमने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा- मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है।

जातिगत जनगणना में निहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और ज्यादा ताकत (संख्या बल) हासिल हो रही है।"

इस मुद्दे के केन्द्र में परिसीमन की संभावना है, अर्थात् जनसंख्या के ताजा आँकड़ों के आधार पर संसदीय क्षेत्र का आकार एवं उसकी सीमा तय किये जायेंगे। परिसीमन की मौजूदा फ्रीज़िंग (यथास्थिति) 2026 तक प्रभावी रहेगी तथा उम्मीद की जा रही है कि जातियों और उपजातियों के नये आँकड़े जारी होने के बाद, सीटों के परिसीमन को लेकर जबरदस्त मोल-भाव के लिए मंच तैयार हो जायेगा।

राजनैतिक पर्यवेक्षकों को आशंका है कि इससे उत्तर-दक्षिण के बँटने की सोच तेज हो जायेगी, क्योंकि ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो जायेंगी तथा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ जायेंगी।

बिहार में जातिगत पहचान लम्बे समय से राजनैतिक रणनीति के केन्द्र में रही है तथा ऐसी उम्मीद है कि जातिगत जनगणना इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हालाँकि जनगणना की प्रक्रिया संभवतः नई सरकार के गठन के बाद ही पूरी होने की संभावना है, लेकिन जाति-आधारित राजनैतिक नैरेटिव सार्वजनिक चर्चाओं पर पहले से ही हावी है। विश्लेषकों का कहना है कि नये जातिगत आँकड़ों से आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन को उल्लेखनीय फायदा हो सकता है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्या की वास्तविक जातिगत संरचना पर आधारित अनुकूल कार्यवाही को इससे पर्याप्त बल मिल सकता है।

दूसरी तरफ, भाजपा तथा बिहार में उसका वर्तमान मित्र दल जद (यू) मुश्किल में पड़ते नज़र आ रहे हैं। जहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जद (यू) जब विपक्षी गठबंधन में था, तब जातिगत जनगणना का मजबूत प्रस्तावक था, लेकिन पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाने तथा राजनैतिक गणित ने उनकी स्थिति बड़ी अस्पष्ट एवं संदिग्ध बना दी है।

इस बीच भाजपा के सामने हिन्दी भाषी राज्यों में जाति-आधारित राजनीति की जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, "सबका विकास" के विचार को आगे बढ़ाने की अपनी राष्ट्रीय छवि को संतुलित बनाये रखने की चुनौती भी है।

एक वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक ने इस स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, "जातिगत जनगणना एक सामाजिक ऑडिट मात्र नहीं है, यह एक राजनैतिक भूकंप है, जो आने ही वाला है। यह (जातिगत जनगणना) अगले दशक में चुनावी रणनीतियों, गठबंधन के निर्माण और शायद भारतीय लोकतंत्र की संरचना तक को एक नया आकार देगी।

राजनैतिक गहमागहमी बढ़ने के साथ ही, 16 जून की अधिसूचना के आते ही, भारतीय राजनीति के एक लंबे तथा कलहपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो जायेगी।

यह अधिसूचना देश के संघीय ढ़ाँचे के लचीलेपन, भारतीय गणतंत्र की एकता तथा भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा लेगी।

महेश जोशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस बीच जोशी की पत्नी के निधन के कारण कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908